

**नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024
भाग-एक**

1. (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81-फिन (एल०ए०) खण्ड –(ख) IV/ दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद कुल्लू के लेखों का अवधि 04/2023 से 03/2024 का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :-

अध्यक्ष

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री गोपाल कृष्ण महन्त	01.04.2023 से 31.03.2024

कार्यकारी अधिकारी

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री बी.आर. नेगी (कार्यकारी अधिकारी)	01.04.2023 से 21.06.2023
2	श्री हरी सिंह यादव (अतिरिक्त प्रभार)	22.06.2023 से 07.07.2023
3	श्री बी.आर. नेगी (कार्यकारी अधिकारी)	08.07.2023 से 19.03.2024
4	श्री अनुभव शर्मा (कार्यकारी अधिकारी)	20.03.2024 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	सावधि जमा में अर्जित ब्याज का इन्द्राज रोकड़ बही में न करना ।	4 (i)(1)	13.65
2	सावधि जमा में निवेशित राशि को परिपक्वता की तिथि से पहले निकासी करने के फलस्वरूप ब्याज की हानि	8(iii)	3.41
3	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष पाया जाना	9(क)	1026.96
4	विविध स्रोतों से अपेक्षित आय की वसूली शेष	10(i),11(i), 12(i),13, 14,15(i), 16,17,18	1609.45
5	69 गृहकर दाताओं से गृहकर वसूली शेष	10(ii)	27.79
6	गृहकर की कम मांग करने के फलस्वरूप हानि ।	10 (iii)	8.86
7	17 दुकानदारों से किराए की वसूली शेष	11(ii)	17.71
8	AMRUT निधि में निर्माण कार्य हेतु तकनीकी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अतिरिक्त मद को कार्य में जोड़ने बारे ।	22(iv)	3.83
9	नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य हेतु ई-टेंडरिंग किए बिना ही अनियमित व्यय करने ।	22(vi)	13.43
10	नगर परिषद कुल्लू द्वारा AMRUT निधि से एक ही प्रकार के कार्य को करने हेतु टेंडर राशियों का खंडन (Spilting of tender) करके एक ही संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करने बारे ।	22(viii)	24.10
11	अस्थाई अग्रिम का समायोजन न करना ।	24	12.52

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 1** पर दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यंत चिंताजनक है। अंकेक्षण अध्याचना स० 21 दिनांक 11.12.2024 द्वारा गत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनो के पैरो पर कार्यवाही करके अंकेक्षण को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। अतः नगर परिषद द्वारा इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान / कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद कुल्लू के लेखों अवधि 04/2023 से 03/2024 तक का अंकेक्षण कार्य श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.12.2024 से 22.01.2025 तक कुल्लू में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2023-24	04/2023	03/2024

अस्वीकरण:- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹51200.00 आँका गया। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु कनिष्ठ लेखा परीक्षक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या MC/Kullu/2024/65 दिनांक 22.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद कुल्लू अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(i) मुख्य रोकड़ बही :- (परिशिष्ट 2)

Financial Position of Main Cash book of MC Kullu as on 31.03.2024							
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interest Received (Savinng +FDR Interest)	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	Own Sources	35413395.05	54239089.01	3262516.00	92915000.06	57097369.31	35817630.75
	Grants-in-aid	36877850.00	57535675.00	0.00	94413525.00	69588179.00	24825346.00
	Total	72291245.05	111774764.01	3262516.00	187328525.06	126685548.31	60642976.75
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							60642976.75
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							62431204.75
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							-1788228.00
Reconciliation :-							
Closing Balance as per General Cash Book as on 31.03. 2024							60642976.75
Add: Interest received in FDR but entered in cash book up 31.03.2024.							1365196.00
Add: Cheque issued but not debited by bank. (Detail attached in annexure-3)							500944.00
Less: Cheque deposited but not Credited by Bank upto 31.03.2024 (Detail attached in annexure -3)							77912.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							62431204.75
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							62431204.75
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	Branch Name	Account No					
1	P.N.B	3378000100019210		2266825.61			
2	P.N.B	337800005012804		3801103.00			

3	P.N.B	3378000100056520	95484.00
4	P.N.B	274002100024255	2617104.71
5	K.C.C. B	20006013425	7491909.16
6	K.C.C. B	20099017443	15643.00
7	O.B.C	08002011000613	1273524.00
8	U.B.I	372102010000938	3322328.50
9	Canara	2420101004481	13061.60
10	U.C.O	11470100004959	537230.85
11	U.C.O	11470110025420	691014.43
12	J&K	3081	933848.50
13	P.N.B	0274000105168824	4021790.02
14	P.N.B	0274000107179499	1246440.76
15	AXIS BANK	916010014480994	6595818.07
16	I.D.B.I	0785104000006019	62673.00
17	H.D.F. C	500100042122981	547943.74
18	H.D.F. C	50100396570780	2223246.60
19	Punjab & Sindh	10471000001054	94292.00
20	H.G.B	88310100000654	99079.20
21	Indusla nd bank	100074136613	136467.00
22	AXIS BANK	920010023827455	12979181.00
23	J&K	FDR	6365196.00
24	J&K	FDR	5000000.00
Total			6,24,31,204.75

(1) बैंक समाधान विवरणी की पड़ताल के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा ब्याज के रूप में निम्न-विवरणानुसार ₹13,65,196.00 की राशि नगर परिषद के सावधि जमा में जमा की गई थी लेकिन इसका इन्द्राज नगर परिषद की रोकड़ बही में नहीं किया गया था, जिससे रोकड़ बही के शेष एवं बैंक खातों के शेषों में अन्तर आ रहा है तथा अन्तर की राशि को बैंक समाधान विवरणी में लेना पड़ रहा है। अतः ब्याज की राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में लेकर समायोजन करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55 दिनांक 21.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः भविष्य में यथासमय ब्याज की

राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

क्रमांक संख्या	ब्याज की राशि का विवरण	राशि (₹)
1	FDR No. 164050300308648 (J&K Bank) w.e.f 02.03.19 to 31.03.24,	1365196.00
	कुल राशि	1365196.00

(ii) C.F.C. (15 th F.C.) निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट -4)

Financial Position of CFC (15th FC) of MC Kullu as on 31.03.2024							
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interest received	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	CFC (15 th FC)	20841803.00	36058582.00	1004071.00	57904456.00	31530405.00	26374051.00
	Total	20841803.00	36058582.00	1004071.00	57904456.00	31530405.00	26374051.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							26374051.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							26625506.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							-251455.00
Reconciliation :-							
Closing Balance as per General Cash Book as on 31.03. 2024							26374051.00
Add: Cheque issued but not debited by bank. (Detail attached in annexure- 5)							251455.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							26625506.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							26625506.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	Branch Name	Account No					
1	ICICI	72601000595					26625506.00
Total							2,66,25,506.00

(iii) **Parking Fund (Sultanpur) निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट -6)**

Financial Position of Parking Fund (Sultanpur) of MC Kullu as on 31.03.2024							
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interest received	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	Parking Fund	20714050.00	33500000.00	803405.00	55017455.00	519780.00	54497675.00
	Total	20714050.00	33500000.00	803405.00	55017455.00	519780.00	54497675.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							54497675.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							54497675.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	Branch Name	Account No					
1	AXIS	9210100575220077					54497675.00
Total							5,44,97,675.00

(iv) **H.F.A. (P.M.A.Y.) निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट -7)**

Financial Position of HFA (PMAY) of MC Kullu as on 31.03.2024						
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	HFA	3259.00	88.00	3347.00	0.00	3347.00
	Total	3259.00	88.00	3347.00	0.00	3347.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						3347.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						3347.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024						
Sr No	Branch Name	Account No				
1	PNB	0274000107177747				3347.00
Total						3,347.00

(v) S.W.M. :- (ठोस कूड़ा प्रबन्धन परियोजना) निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट -8)

Financial Position of SWM of MC Kullu as on 31.03.2024						
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	SWM	863477.54	23615.00	887092.54	0.00	887092.54
	Total	863477.54	23615.00	887092.54	0.00	887092.54
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						887092.54
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						887092.54
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024						
Sr No	Branch Name	Account No				
1	PNB	78018				881692.55
2	PNB	6022				5399.99
Total						8,87,092.54

(vi) MMSAGY निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट -9)

Financial Position of MMSAGY of MC Kullu as on 31.03.2024							
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interest received	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	MMSAGY	7379.00	618125.00	3522.00	629026.00	622700.00	6326.00
	Total	7379.00	618125.00	3522.00	629026.00	622700.00	6326.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							6326.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							6326.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	Branch Name	Account No					
1	BOM	60413813987					6326.00
Total							6,326.00

(vii) Atal Shresth Shar Yojna निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट -10)

Financial Position of Atal Shresth Yojna of MC Kullu as on 31.03.2024						
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	ASY	13545607.00	312768.00	13858375.00	3648000.00	10210375.00
	Total	13545607.00	312768.00	13858375.00	3648000.00	10210375.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						10210375.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						10210375.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024						
Sr No	Branch Name	Account No				
1	PNB	3378000105136034				10210375.00
Total						1,02,10,375.00

(viii) AMRUT निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट -11)

Financial Position of AMRUT of MC Kullu as on 31.03.2024						
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	AMRUT	274629.20	70432939.00	70707568.20	38573331.00	32134237.20
	Total	274629.20	70432939.00	70707568.20	38573331.00	32134237.20
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						32134237.20
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						32691202.20
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						-556965.00
Reconciliation :-						
Closing Balance as per General Cash Book as on 31.03. 2024						32134237.20
Add: Cheque issued but not debited by bank. (Detail attached in annexure-12)						556975.00
Less: Cheque issued for payment but excess debited by Bank on dated 28.07.2023 : (Detail attached in annexure-12)						10.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						32691202.20
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						3,26,91,202.20
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024						
Sr No	Branch Name	Account No				
1	PNB	107187090				32281251.20
2	PNB	121388				0.00
3	PNB	179125				0.00

4	AXIS	0060144255	409951.00
Total			3,26,91,202.20

(ix) IDSMT निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट -13)

Financial Position of IDSMT of MC Kullu as on 31.03.2024						
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	IDSMT	719474.20	32089.00	751563.20	0.00	751563.20
	Total	719474.20	32089.00	751563.20	0.00	751563.20
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						751563.20
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						751563.20
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024						
Sr No	Branch Name	Account No				
1	PNB	100061692				751563.20
Total						7,51,563.20

(x) ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट - 14)

Financial Position of Gratuity Fund of MC Kullu as on 31.03.2024						
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	IDSMT	2375408.00	3318564.00	5693972.00	2665934.00	3028038.00
	Total	2375408.00	3318564.00	5693972.00	2665934.00	3028038.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						3028038.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						3028038.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						0.00
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024						
Sr No	Branch	Account No				
1	KCCB	20006026218				3028038.00
Total						30,28,038.00

(xi) AMRUT 2.0 (SNA) निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट - 15)

Financial Position of AMRUT(SNA) of MC Kullu as on 31.03.2024						
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	AMRUT(SNA)	0.00	122489114.00	122489114.00	122489114.00	0.00
	Total	0.00	122489114.00	122489114.00	122489114.00	0.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						0.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						0.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						0.00

(xii) PMAY (SNA) निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट - 16)

Financial Position of PMAY (SNA) of MC Kullu as on 31.03.2024						
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	PMAY (SNA)	0.00	4360000.00	4360000.00	4360000.00	0.00
	Total	0.00	4360000.00	4360000.00	4360000.00	0.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						0.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						0.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						0.00

(xiii) SBM 2.0 (SNA) निधि की वित्तीय स्थिति :- (परिशिष्ट - 17)

Financial Position of SBM (SNA) of MC Kullu as on 31.03.2024						
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	SBM (SNA)	0.00	4547969.00	4547969.00	4547969.00	0.00
	Total	0.00	4547969.00	4547969.00	4547969.00	0.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024						0.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)						0.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024						0.00

5 प्रोभदवन लेखांकन के साथ डबल एंट्री बही खाता पद्धति का उपयोग न करने बारे :-

निदेशक, शहरी विकास हि० प्र०पत्र सं०UD-H (c)-15 -49 /2003-iii/3332-3279, दिनांक 25-03-09, सं० UD-H (c)-15 -49 /2003-iii/9337-9385, दिनांक 7-9-09 व सं० UD-H(c)-15 -49 /2003-IV/5215 -63, दिनांक 19-7-10 द्वारा सभी नगर परिषद व नगर पंचायत को लेखा खातो का रख-रखाव प्रोभदवन लेखांकन के साथ आय व व्यय को रिकार्ड करने के लिए डबल एंट्री पद्धति का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद कुल्लू द्वारा लेखा खाता का रख-रखाव प्रोभदवन लेखांकन के साथ आय व व्यय को रिकार्ड करने के लिए डबल एंट्री पद्धति का उपयोग नहीं किया जा रहा था बल्कि अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि अनियमित है। इस के अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा Ledger A/c, Trial Balance और Balance Sheet भी नहीं बनाई गई थी। अंकेक्षण अध्याचना संख्या 62 दिनांक 21.01.2025 द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध कार्यकारी अधिकारी से किया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः भविष्य में प्रोभदवन लेखांकन के साथ डबल एंट्री बही खाता पद्धति का उपयोग करके बही खातों का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाये।

6 भविष्य निधि का नियमानुसार गठन न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नियमानुसार नगर परिषद द्वारा भविष्य निधि का गठन नहीं किया गया था जबकि अभिदाताओं के व्यक्तिगत खाते बैंक में खोले गये थे जोकि सचिव के नाम से है जिसमें केवल बचत खाते का ब्याज ही प्राप्त हो रहा था। अतः परामर्श दिया जाता है कि सभी व्यक्तिगत खातों को बंद करके म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के अधीन भविष्य निधि का गठन किया जाये तथा एक भविष्य निधि का खाता खोल कर नियमानुसार रख-रखाव किया जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 नगर परिषद के गत तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण :-

नगर परिषद कुल्लू द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों की सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है (Gratuity Fund) के अतिरिक्त :-

वर्ष	कुल आय (₹) (ब्याज को छोड़कर)	कुल व्यय (₹)
2021-22	98533899	148607617
2022-23	229991476	162456824
2023-24	384150053	332976847.31

8 निवेश :-

(i) नगर परिषद कुल्लू द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक ₹ 1,13,65,196.00 सावधि जमा में निवेशित किए गए थे जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "18" में दिया गया है। अतः सावधिक जमा को नियत तिथि को भुनाया या पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये। सावधि जमा का विवरण निम्नलिखित है :-

Statement of FDR's Invested for the period 01.04.2023 to 31.03.2024								
Sr. No.	FDR A/c No.	Bank Name	Investment Amount	Rate of Interest	Date of Investment	Date of Maturity	Period of Investment	Maturity Amount
1	164050300308648	J&K Bank Akhara Bazar	6365196.00	7.10%	31.03.2024	31.03.2025	1 Year	6829300.00
2	164050300309294	J&K Bank Akhara Bazar	5000000.00	7.10%	26.10.2023	26.10.2024	1 Year	5364564.00
			11365196.00					12193864.00

(ii) बैंक द्वारा सावधि जमा से TDS के रूप में ₹0.53 लाख की कटौती करने बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 के नियम 10(20) के अनुसार स्थानीय निकायों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय पर आयकर की छुट प्रदान की गई है। परंतु अंकेक्षण के दौरान निवेश से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि बैंक द्वारा नगर परिषद की निधि से सावधि जमा के रूप में निवेशित राशि के नवीनीकरण/परिपक्वता के दौरान TDS के रूप में कटौती की गई थी लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा इस बारे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिस कारण नगर परिषद को TDS के रूप में ₹ 53490.00 की सम्भावित वित्तीय हानि हुई थी। अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 22 दिनांक 19.12.2024 द्वारा उक्त अनियमितता को कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके संदर्भ में पत्र संख्या न० प० /कुल्लू/लेखा शाखा /ऑडिट/-457 दिनांक 24.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि संबंधित बैंक से मामला उठाकर की गई कटौती को पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार की कटौतियों पर यथासमय कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें। TDS की कटौती का विवरण निम्नलिखित है :-

Sr. No.	Name of Bank	FDR's No.	Amount Invested	TDS by bank		Loss on individual FDR
		Date of Investment		Date	(Rs.)	
			(Rs.)	Date	(Rs.)	(Rs.)
1	J&K Bank Akhara Bazar Kullu	308590/01.04.2023	6250328	23.09.2023	22972	22972
2	J&K Bank Akhara Bazar Kullu	309294/26.10.2023	5000000	24.12.2023	12586	30518
				23.03.2024	17932	
			11250328	Total		53490

(iii) सावधि जमा में निवेशित राशि को परिपक्वता की तिथि से पहले निकासी करने के फलस्वरूप ₹ 3.41 लाख की ब्याज की हानि:-

नगर परिषद कुल्लू द्वारा सावधि जमा में मुख्य निधि से FDR संख्या 164050300308590 दिनांक 01.04.2023 को ₹ 6250328 की राशि को आगामी 365 दिनों के लिए 7.10% प्रतिशत की दर पर निवेशित किया गया था जिसकी परिपक्वता तिथि क्रमशः 31.03.2024 थी तथा परिपक्वता मुल्य ₹ 6706057.00 बनता था लेकिन नगर परिषद द्वारा FDR संख्या 164050300308590 में निवेश की गई राशि को परिपक्वता तिथि से पहले दिनांक 26.10.2023 को आहरित कर लिया गया जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को ₹ 6364344.00 की राशि ही प्राप्त हुई फलस्वरूप नगर परिषद को ₹ 3,41,713.00 के ब्याज की हानि उठानी पड़ी है। जिसका विवरण निम्न लिखित है :



Sr. No.	FDR A/c No.	Investment Amount	Maturity Amount	Date Of pre Maturity	Amount Received On Pre Maturity	Less Interest Received
1	64641	6250328.00	6706057.00	26.10.2023	6364344	341713.00

जबकि 25.10.2023 को रोकड़ बही अनुसार ₹ 66792350.09 (Excluding Amount invested in FDR i.e. Total Balance ₹ 79167153.09 -F.D.R. ₹ 12374803.00 = ₹66792350.09) का अंत शेष उपलब्ध था । जिससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद के बचत खातों में लगभग ₹ 6.67 करोड़ की राशि पहले ही उपलब्ध थी तथा निवेशित राशि को परिपक्वता तिथि से पहले भुनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी परंतु उसके पश्चात भी सावधि जमा में निवेशित राशि को परिपक्वता तिथि से पहले ही भुनाया गया । यदि नगर परिषद द्वारा समय से पहले भुनाई गई राशि को निवेश में ही रखा जाता तो उस पर अधिक ब्याज प्राप्त होना था परंतु नगर परिषद द्वारा परिपक्वता तिथि से पहले भुनाने के कारण नगर परिषद को इस प्रकार से राशि ₹ 341713.00 की संभावित हानि हुई है अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23 दिनांक 19.12.2024 द्वारा उक्त अनियमितता को कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके संदर्भ में पत्र संख्या न0 प0 /कुल्लू/लेखा शाखा /ऑडिट/-456 दिनांक 24.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि नगर परिषद कुल्लू द्वारा नजदीक रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू के सामने बनाए जा रहे वेंडर मार्केट कम पवेलियन के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर अदायगी की जानी थी । जिसके लिए प्राप्त ब्याज की राशि से अदायगी की जानी थी । उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर परिषद के बचत खाते में बहुत राशि शेष थी जिससे भुगतान किया जा सकता था तथा निवेश की परिपक्वता वाली तिथि को प्राप्त राशि सम्बन्धित खाते में हस्तांतरित की जा सकती थी । अतः : इस बारे अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9 अनुदान :-

(क) नगर परिषद कुल्लू की अंकेक्षणाधीन अवधि 04/2023 से 03/2024 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तःशेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट ' 19, 19 (1), 19 (2)' में दिया गया है ।

Financial Position of Grants (Main Cash Bok, CFC 15 th FC, Parking Fund sultanpur) of MC Kullu as on 31.03.2024					
Year	Opening Balance (₹)	Receipt During The Year (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2023-24	77240717.00	127712382.00	204953099.00	102256489.00	102696610.00
Note :- General Head+ CFC 15 th FC+ Parking Fund sultanpur (24825346.00+26374051.00+54497675.00=105697072) Less: Interest received 2022-23 CFC 15 th FC+ Parking Fund sultanpur (407936+785050=1192986) Less: Interest received 2023-24 CFC 15 th FC+ Parking Fund sultanpur (1004071.00+803405.00=1807476) Closing Balance of grants (excluding Interest)= (105697072-1192986-1807476 =102696610)					

विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से दिनांक 31.03.2024 को ₹ 10,26,96,610.00 (Excluding Interest) की राशि अनुष्युक्त पड़ी थी, जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयोग इन अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्य जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी, व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अनुदानों की राशि का उपयोग कर लिया गया था लेकिन इन अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि अनुदानों का उपयोग उनके उद्देश्य के अनुसार ही किया गया था अथवा नहीं। अतः निम्न वर्णित अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक संख्या	संस्थान /विभाग	उद्देश्य	राशि (₹)	टिप्पणी
1	DC Kullu	SDRF,LADA ,SDP,VKVN, MPLAD	493191.00	Detail Attached in Annexure-
2	DC Kullu	SDRF,LADA ,SDP,VKVN, MPLAD	1208008.00	Detail Attached in Annexure-
3	DC Kullu	SDRF,LADA ,SDP,VKVN, MPLAD	13814000.00	Detail Attached in Annexure-
4	UD	SBM,ULB PARK,SWM,15 TH FC,MMSAGY	6206209.00	Detail Attached in Annexure-
5	UD	6 TH SFC,CFC TIED/UTIED GRANT	14742163.00	Detail Attached in Annexure-
6	UD	CFC TIED/UTIED GRANT	14196572.00	Detail Attached in Annexure-
7	UD	CFC TIED/UTIED GRANT	6508924.00	Detail Attached in Annexure-
8	UD	CFC TIED/UTIED GRANT	10824909.00	Detail Attached in Annexure-
9	UD	6 TH SFC	33124608.00	Detail Attached in Annexure-
10	UD	ONLINE PARKING	519780.00	Detail Attached in Annexure-
11	UD	DISATER FUND	0.00	Detail Attached in Annexure-
12	UD	MMSAGY	618125.00	Detail Attached in Annexure-
TOTAL			102256489.00	

(ग) निक्षेप कार्य के अंतर्गत जल शक्ति विभाग,BSNL टावर कार्पोरेशन कुल्लू के पास जमा की गई ₹ 470.00 लाख की राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे ।

नगर परिषद द्वारा मुख्य निधि व AMRUT 2.0 निधि से जल शक्ति विभाग, BSNL टावर कार्पोरेशन कुल्लू को यथा परिशिष्ट-20 अनुसार ₹ 4,70,00,000.00 की राशि विभिन्न कार्यों के निर्माण करने हेतु जमा करवाई गई थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान विदित हुआ कि वर्तमान अवधि तक विभिन्न विभागों से कार्यों की समाप्ति से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए है, जिसके अभाव में यह ज्ञात करना कठिन है कि नगर परिषद द्वारा कार्यों को करने हेतु जारी की गई राशि का निश्चित समय अवधि के अन्दर ही उपयोग किया गया था अथवा नहीं ? जिस कार्य हेतु राशि जारी की गई थी क्या उसी कार्य को करने में प्रयोग की गई अथवा

नहीं ? यदि इस राशि से संबन्धित कार्य तय समय अवधि के भीतर समाप्त नहीं किया गया है तो संभवतः नगर परिषद को इन कार्यों से मिलने वाली सुविधा से भी वंचित होना पड़ रहा होगा । जोकि अनियमित व अनुचित प्रतीत होता है व विकास कार्य में अनावश्यक देरी को दर्शाता है । अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 37 दिनांक 07.01.2025 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, लेकिन कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । अतः निक्षेप कार्य के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग,BSNL टावर कार्पोरेशन कुल्लू के पास जमा की गई राशि से उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक कार्यवाही पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10 गृह कर :-

(i) गृह कर की बकाया राशि ₹ 42.06 लाख की वसूली न करना :-

नगर परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है । जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए व्यय किया जाता है लेकिन नगर परिषद को दिनांक 31.03.24 तक ₹42,06,005.00 की राशि गृहकर के रूप में वसूलनी शेष थी जिसका विवरण परिशिष्ट "21" में दिया गया है, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है । अतः वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 44 दिनांक 17.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः नियमानुसार इन करदाताओं से गृहकर की वसूली हेतु उचित कदम उठाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

(ii) नगर परिषद कुल्लू के 69 गृह करदाताओं से ₹ 27.79 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

जांच में पाया कि गृहकर की कुल बकाया राशि में से ₹ 2779306/- केवल 69 करदाताओं से बकाया था, जबकि नगर परिषद द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं समय-समय पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं । अतः नियमानुसार इन करदाताओं से प्राथमिकता के आधार पर गृहकर की वसूली हेतु उचित कदम उठाना सुनिश्चित करें एवं शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । दिनांक 31.03.2024 तक उक्त वर्णित गृहकर की बकाया राशि निम्नलिखित करदाताओं से वसूली हेतु शेष है :

Sr. No.	Name & Address	House No.	Balance amount (₹)
1.	M/S Rock n River Prop. Ses Ram	12/7	117900
2	Hotel Shobhla	18/6	252226
3	M/S Hotel Ramneek	23/8	22578
4	Hotel Vaishali	26/11	142315
5	Shree rajroop sharma,ward no. 11	22	10000
6	Smt. Satya dhiman,ward no. 11	24	15000
7	Smt. Sunita,ward no. 11	37	13500
8	Smt. Bhajnu Devi, Ward no. 11	39	15300
9	Smt. Kaushlya Devi, Ward no. 11	53	47000
10	Sh. Pradeep Sharma,Ward no. 11	72	10000
11	Sh. Ravinder kumar,Ward no. 11	105	26280
12	SH. Harish Kumar Gupta,Ward no. 11	131	10590
13	Sh. Krishan Chand, Ward no. 11	138	78600
14	Vyas Hospital,Ward no. 11	150	156525
15	Amina Thakur,Ward no. 11	425/A	30000
16	Sh. Swarnjeet Singh Ward no. 11	489	26000
17	Sh. Raghubir Singh Ward no. 11	626	52300
18	Smt. Fuhadi Devi, Ward no. 10	131	22600
19	Sh. Laal Chand, Ward no. 10	164	20000
20	Sh. V.S Rana & others, Ward no. 10	267	16000
21	Sh Shobha Ram, Ward no. 10	289	18900
22	Sh. Milap Chand, Ward no. 10	439	56500
23	Sh. Sukh Dassi, Ward no. 10	654	11000
24	Sh. Vijay Chand, Ward no. 10	699	28000
25	Smt. Kekati Devi,ward no. 10	726	31500
26	Sh. Sita Ram, Ward no. 10	729	20000
27	DPO Office Kullu,Ward no. 09	29	10395
28	Sh. Swarn Singh & other, Ward no. 09	199	37908
29	Sh. Swarn Singh & other, Ward no. 09	200	56700

30	Smt. Nishi Upadhyay, Ward no 09	260	200000
31	Smt. Komal sharma Ward no 09	312	11800
32	Sh. Moti Lal Ward no 09	317	14000
33	Sh. Neeraj Gautam, Ward no. 09	520	84000
34	Sh. Amitosh Bhardwaj, Ward no. 08	119	24400
35	Sh. Shailender Sharma, Ward no. 08	155	25000
36	Smt. Mansa devi, Ward no. 08	182	14000
37	Sh. Hitesh kumar, Ward no. 08	207	90000
38	Sh. Hira Singh, Ward no. 08	268	60675
39	Smt. Rati devi & others, ward no. 07	01	14400
40	Smt. Premawati & others, Ward no .07	18	19600
41	Sh. Jhonfi Ram, Ward no. 07	357	12600
42	Sh. Avinash Gupta, ward no. 6	154	40000
43	Sh. Sanjay Gupta, Ward no. 6	169	24000
44	Sh. Ram Krishan Mahant, ward no. 6	181/A	12600
45	Sh. Jog dhayan Thakur, ward no. 06	231	21000
46	Sh. Sunder singh Thakur, ward no 06	232/1	17000
47	Sh. Jog dhayan Thakur, ward no. 06	233	19600
48	Forest office, ward no. 06	234	14906
49	Sh. Subhash sharma, ward no. 06	288	15000
50	Sh. Doulat ram, ward no. 05	171	25375
51	Sh. Raju ram, ward no. 05	172	15000
52	Smt. Shyama devi, ward no. 05	178	10500
53	Sh. Surender goyal, ward no. 04	21	10500
54	Sh. Pyaar singh, ward no. 03	5	12000
55	Sh. Raam asra, ward no 03	6	15875
56	Sh. Deepak sachdeva, ward no. 03	75	26000
57	HRTC Kullu, ward no. 03	311	246726
58	Smt. Kaushlya devi, ward no. 03	343	70000
59	Smt. Fulwati, ward no. 03	348	31500
60	Smt. Veena Devi, ward no. 02	49	19150
61	Sh. Chaman lal, ward no. 02	52/1	20000
62	Sh. Ravi Prakash ward no. 02	68	16450
63	Sh. Inder kumar rahi ward no. 02	89/1	21800
64	Saran dass ward no. 02	268	12587
65	Sh rajeshwar pal & others, ward no. 01	29	24000
66	Sh. Baba pasricha, ward no. 01	102	21420
67	Sh. Harbhajan singh & others, ward no. 01	103	15525
68	Sh. Baba pasricha & other , ward no. 01	119	54000

69	Sh. Kehar Singh, ward no 01	239	20700
			2779306

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 40 दिनांक 16.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त करदाताओं से गृहकर की राशि को वसूलने हेतु उचित कार्यवाही करने हेतु कहा गया था, जिसके संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त वर्णित गृहकर की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। अतः शीघ्र समस्त बकाया गृहकर की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) नगर परिषद द्वारा विभिन्न भवन मालिकों की गृह-कर की कम मांग दर्ज करने के फलस्वरूप ₹ 8.86 लाख की हानि।

अभिलेखों की पड़ताल में पाया कि दिनांक 31.03.2024 को निम्नलिखित भवनों से गृहकर के रूप में ₹ 886753/-की कम मांग की गई थी जिससे नगर परिषद कुल्लू को हानि हुई है। अतः कम मांग का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 41 दिनांक 16.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था, जिसके संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि गृहकर की मांग में सुधार करके संशोधित बिल जारी करना सुनिश्चित किया जायेगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। कम मांग का विवरण परिशिष्ट " 22" में दिया गया है:-

(iv) गृहकर मूल्यांकन/निर्धारण से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद कुल्लू के कार्यक्षेत्र में निर्मित विभिन्न भवनों व परिसरों से नगर परिषद द्वारा गृहकर वसूला जाता है, जोकि नगर परिषद की आय का मुख्य स्रोत है। अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद कुल्लू द्वारा गृहकर के निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में यह प्रतीत होता है कि नगर परिषद कुल्लू में नवनिर्मित भवनों के गृहकर का मूल्यांकन/कर निर्धारण समय-समय पर नहीं किया जा रहा है जिसके कारण नगर परिषद कुल्लू को गृहकर के रूप में वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 40 दिनांक 16.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को गृहकर मूल्यांकन/निर्धारण से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः नगर परिषद

कुल्लू के कार्यक्षेत्र में निर्मित भवनों/परिसरों के गृहकर मूल्यांकन/कर निर्धारण वर्ष से संबंधित अभिलेखों को तैयार करके अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 दुकानों से आय :-

(i) दिनांक 31.03.24 तक दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹18.69 लाख की वसूली न करना :-

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों /स्टालों /खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर चढ़ाया गया है तथा इनका किराया परिषद की आय का मुख्य स्रोत है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "23" में दिया गया है, के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक किराये के रूप में ₹18,68,939.00 की राशि वसूली हेतु लम्बित थी। जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू०एल०बी०एच०ए०(7) -1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 के द्वारा करें इत्यादि की शत-प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जोकि एक चिन्ताजनक विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ।

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 44 दिनांक 17.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त किराएदारों से किराए की राशि को वसूलने हेतु उचित कार्यवाही करने हेतु कहा गया था, जिसके संदर्भ में पत्र संख्या एम.सी.के./शॉप-रेन्ट(ऑडिट)/2024/-300 दिनांक 21.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त किराये की वसूली हेतु यथा सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप ₹9 लाख की राशि वसूल की जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली हेतु कार्यालय स्तर पर कार्यवाई की जा रही है। अतः शीघ्र समस्त बकाया किराये की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) दुकानों के किराए के रूप में ₹ 17.71 लाख केवल 17 दूकानदारों से वसूली योग्य शेष।

नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की पड़ताल में पाया कि दिनांक 31.03.2024 तक दुकानों के किराए की राशि के रूप में ₹17,71,633/- केवल 17 दुकानदारों से वसूलना शेष थी जोकि कई वर्षों से बकाया चल रहा है। जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू०एल०बी० एच०ए०(7)-1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 द्वारा करें इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन नगर परिषद कुल्लू द्वारा

इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए जो कि एक चिन्ताजनक विषय है। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 28 दिनांक 31.12.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त किराएदारों से किराए की राशि को वसूलने हेतु उचित कार्यवाही करने हेतु कहा गया था, जिसके संदर्भ में पत्र संख्या एम.सी.के./शॉप-रेन्ट(ऑडिट)/2023-24/-77 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त किराये की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि निम्नलिखित किराए की बकाया राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr. No.	Name & Address	Balance Amount (₹)
1.	Anil Sood, shop no.2, Akhara Bazzar Kullu	102754
2.	Chet Ram, Akhara Bazzar	183481
3.	Haider Kumar, shop no. 11, Sarwari	14526
4.	Ram Dass, shop no. 12, Sarwari	89568
5.	Sanjeev Kumar Sood, shop no. 4 L/ Dhalpur	32762
6.	Harminder Singh Bawa,shop no. 125, Dhalpur	56526
7.	Herminder Singh, near PNB Complex Dhalpur	375407
8.	Sudershan kumar,shop no. 3,Akhara Bazar	36736
9.	Sanjeev Kumar, shop no. 4, MM Sarwari	24832
10.	Kamal Kishore, shop no. 21, sarwari	15463
11.	Inder pal singh, shop no. 22, sarwari	22355
12.	Anita bhuria, shop no. 137,sarwari	11430
13.	Vinod kumar, shop no. 141, sarwari	13915
14.	Mohan singh, shop no. 133, dhalpur	60070
15.	Seema devi, PNB Complex Dhalpur	17488
16.	Joginder Shukla, court canteen mall Dhalpur	686970
17.	Vishvajeet, shop no. 123, Dhalpur	27350
		17,71,633

(iii) नगर परिषद द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर दी गई संपत्ति पर ₹ 6.16 लाख की GST की राशि वसूल न करने बारे ।

नगर परिषद कुल्लू द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को बैंक ब्रांच खोलने हेतु किराए पर ढालपुर में भवन दिया गया था, जिसका मासिक किराया वर्ष 2023-24 में ₹ 46843 (15% enhancement after 3 year) की दर से नगर परिषद कुल्लू द्वारा वसूल किया जा रहा है । अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, ढालपुर द्वारा उक्त किराए पर जीएसटी (18%) जमा नहीं किया जा रहा है । परिणामस्वरूप बैंक द्वारा जुलाई 2017 से मार्च 2024 तक **परिशिष्ट "24"** में दिए विवरण अनुसार कुल ₹ 615668 की राशि GST के रूप में नगर परिषद कुल्लू को नहीं दी गई थी तथा न ही संबंधित विभाग में जमा किया गया था जोकि जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा-9 में विहित प्रावधानों के विरुद्ध है । अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 28 दिनांक 31.12.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त किराएदारों से किराए की राशि को वसूलने हेतु उचित कार्यवाही करने हेतु कहा गया था, जिसके संदर्भ में पत्र संख्या एम.सी.के./शॉप-रेन्ट(ऑडिट)/2023-24/-76 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि नगर परिषद द्वारा संबंधित बैंक को विभिन्न माध्यमों से GST की राशि के विवरण बारे अवगत करवाया गया है लेकिन अभी तक कोई लाभकारी पत्राचार /विवरण इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त जीएसटी की राशि की वसूली हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

12 कामकाजी महिला आवास :-

(i) कामकाजी महिला आवास किराया ₹ 1.89 लाख की वसूली न करना :-

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "25 "** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को कामकाजी महिला आवास के किराये के रूप में ₹188578.00 की राशि वसूली हेतु शेष थी तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके कारण बकाया राशि में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है जोकि गंभीर चिन्ता का विषय है । अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 44 दिनांक 17.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त किराएदारों से किराए की राशि को वसूलने हेतु उचित कार्यवाही करने हेतु कहा गया था, जिसके संदर्भ में पत्र संख्या एम.सी.के./का0 मही0

आवा0(ऑडिट)2023-24/ 330 दिनांक 22.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि महिलाओं से बकाया किराया वसूलने हेतु यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं एवं प्रगति रिपोर्ट से अंकेक्षण को अवगत करा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि किराए की बकाया राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ii) कामकाजी महिला आवास के किराए के रूप में ₹ 1.61 लाख केवल 5 कामकाजी महिलाओं से वसूली योग्य शेष।

अभिलेखों की पड़ताल में पाया कि दिनांक 31.03.2024 तक कामकाजी महिला आवास के किराए की राशि के रूप में ₹ 161243/- केवल 5 कामकाजी महिलाओं से वसूलना शेष थी जोकि कई वर्षों से बकाया चल रही है। जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू०एल०बी० एच०ए०(7)-1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन नगर परिषद कुल्लू द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जो कि एक चिन्ताजनक विषय है। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनांक 31.12.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त किराएदारों से किराए की राशि को वसूलने हेतु उचित कार्यवाही हेतु कहा गया था, जिसके संदर्भ में पत्र संख्या एम.सी.के./का० मही० आवा०(ऑडिट)2023-24/ 331 दिनांक 22.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि महिलाओं से बकाया किराया वसूलने हेतु यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं, इस संदर्भ में किराए की वसूली हेतु मामला पालिका सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि किराए की बकाया राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	नाम	कमरा संख्या	बकाया राशि (₹)
1	कुमारी सरोज	1	41753
2	श्रीमती वर्षा शर्मा	2	47190
3	श्रीमती संतोष	13	34500
4	श्रीमती नीलम	7	24000
5	श्रीमती बिमला	5	13800
		कुल	161243

(iii) कामकाजी महिला आवास के किराए की कम मांग करने के फलस्वरूप ₹ 8833/- की हानि ।

जांच में पाया कि दिनांक 31.03.2024 को निम्नलिखित कामकाजी महिला आवास के किराए के रूप में ₹ 8833/- की कम मांग की गई थी जिससे नगर परिषद कुल्लू को किराए के रूप में हानि हुई है । अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 29 दिनांक 31.12.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त किराएदारों से किराए की राशि को वसूलने हेतु उचित कार्यवाही हेतु कहा गया था, जिसके संदर्भ में पत्र संख्या एम.सी.के./का0 मही0 आवा0(ऑडिट)2023-24/ 331 दिनांक 22.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस संबंध में किराए की वसूली कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं से कर ली जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अतः शीघ्र इन कामकाजी महिला आवास के किराये की मांग में सुधार करके संशोधित बिल जारी करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । कम मांग का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	किरायेदार का नाम	दिनांक 31.03.23 को बकाया राशि (₹)	मांग व वसूली रजिस्टर में दर्ज बकाया राशि	कम मांग की राशि (₹)
1	श्रीमती बिमला कमरा संख्या 5	7800	0 (पृष्ठ-270)	7800
2	श्रीमती दयावन्ति , कमरा संख्या 12	1033	0 (पृष्ठ- 286)	1033
			Total	8833/-

13 जिला चुनाव कार्यालय भवन के किराये के रूप में ₹ 20.88 लाख वसूली हेतु बकाया राशि :-

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट "23" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 को जिला चुनाव कार्यालय भवन के किराये के रूप में ₹20,88,474.00 की राशि वसूली हेतु शेष थी तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके कारण बकाया राशि में प्रतिवर्ष बढ़ौतरी हो रही है जोकि गंभीर चिन्ता का विषय है । अतः अंकेक्षण अध्याचना संख्या 44 दिनांक 17.01.25 के प्रतिउत्तर पत्र

संख्या एम.सी.के./शॉप-रेन्ट(ऑडिट)/2023-24/-300 दिनांक 21.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त भवन के किराये की वसूली का मामला जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उपायुक्त महोदय के समक्ष उठाया गया है तथा साथ ही निदेशक शहरी विकास विभाग के माध्यम से उपरोक्त मामले के निपटान हेतु मध्यस्थता करने बारे भी आग्रह किया गया था । मामले के निपटान हेतु पुनः जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उपायुक्त महोदय से आग्रह किया जाएगा एवं प्रगति रिपोर्ट से अंकेक्षण को अवगत करा दिया जाएगा । अतः इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

14 जिला न्यायालय वकीलों/ टाइपिस्टों को उपलब्ध दुकान किराये के रूप में ₹ 22.46 लाख वसूली हेतु बकाया राशि :-

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट "23" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 को जिला न्यायालय वकीलों/ टाइपिस्टों को उपलब्ध दुकान किराये के रूप में ₹22,46,202.00 की राशि वसूली हेतु शेष थी तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके कारण बकाया राशि में प्रतिवर्ष बढ़ती रही है जोकि गंभीर चिन्ता का विषय है । अतः अंकेक्षण अध्याचना संख्या 44 दिनांक 17.01.25 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या एम.सी.के./शॉप-रेन्ट(ऑडिट)/2023-24/-300 दिनांक 21.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस संदर्भ में किराए की वसूली हेतु मामला पालिका सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा व प्रगति रिपोर्ट से अंकेक्षण को अवगत करा दिया जाएगा । अतः शीघ्र बांछित अभिलेख तैयार करके उक्त बकाया राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

15 घर-घर से कूड़ा कचरा एकत्रित करने का शुल्क :-

(i) दिनांक 31.03.24 तक घर-घर से कूड़ा कचरा एकत्रित करने की फीस की बकाया राशि ₹154.19 लाख की वसूली न करना :-

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट "26" पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक उक्त कर की फीस के रूप में ₹ 1,54,18,671.00 की राशि वसूली हेतु लम्बित थी । इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु शेष रहना एक गंभीर चिन्ता का विषय है । अतः अंकेक्षण अध्याचना संख्या 46 दिनांक 20.01.25 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या एम.सी.के./स्वच्छता/(ऑडिट)/2024-25/-470 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित

किया गया कि शीघ्र उक्त बकाया राशि की वसूली की जा रही है। अतः कृत कार्रवाई की अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ii) Door to Door से कूड़ा कर्कट इकट्ठा करने हेतु User Charges का मांग व वसूली रजिस्टर तैयार न करना।

अंकेक्षण में पाया गया कि Door to Door कूड़ा कर्कट इकट्ठा करने हेतु User Charges की मांग व वसूली रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिससे इस बात का पता नहीं चल सका कि किस करदाता से कितनी राशि वसूली हेतु बकाया है। अंकेक्षण के दौरान जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46 दिनांक 20.01.25 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या एम.सी.के./स्वच्छता/(ऑडिट)/2024-25/-470 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि शीघ्र कूड़ा कर्कट इकट्ठा करने के User Charges का प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन उपयोग पोर्टल शुरू किया जा रहा है तथा साथ में रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा। अतः शीघ्र वांछित अभिलेख तैयार करके शत-प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(iii) Door to Door कूड़ा कर्कट इकट्ठा करने से प्राप्त रसीदों के आय का रोकड़ वही में दर्ज रसीदों से मिलान न होना।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद कुल्लू द्वारा **Door to Door** कूड़ा कर्कट शुल्क राशि की रसीदों द्वारा प्राप्त राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में किया गया था। अंकेक्षण में पाया कि रसीदों द्वारा वसूली राशि एवं रोकड़ बही में दर्ज प्राप्त राशि का आपस में मिलान नहीं हो रहा है एवं उक्त शुल्क को बैंक में जमा करने से संबन्धित भी कोई उल्लेख न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि रोकड़ बही में दर्ज राशि ही बैंक में जमा की गई थी। अंकेक्षण के दौरान जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46 दिनांक 20.01.25 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या एम.सी.के./स्वच्छता/(ऑडिट)/2024-25/-470 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि 11.02.2024 को कैश बुक में दर्ज राशि डोर टू डोर की है परंतु उत्तर संतोषजनक नहीं है तथा उत्तर अंकेक्षण समाप्त होने के बाद दिया गया था जिससे अभिलेख की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः निम्न-विवरणानुसार **Door to Door** कूड़ा कर्कट शुल्क की वास्तविक वसूली राशि एवं रोकड़ बही में दर्ज राशि के अंतर ₹ 300 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें। रसीदों एवं रजिस्टर में दर्ज राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

रसीद संख्या	वास्तविक इकट्ठा राशि (₹)	रोकड़ वही में दर्ज राशि	अंतर (₹)	रजिस्टर पृष्ठ संख्या
दिनांक 09.02.24 09/1030	300	0	300	दर्ज नहीं
कुल			₹300	

16 कोर्ट कैन्टीन हाल से किराये के रूप में ₹ 9.70 लाख की वसूली शेष होने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री जोगिन्दर शुक्ला सुपुत्र श्री दिला राम गाँव धरोपा, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू को कोर्ट कैन्टीन हाल, ढालपुर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 19.01.2022 से 18.01.2025 तक आबंटन पत्र संख्या MCK/Rent Court Canteen 2021-22/34-37 दिनांक 05.01.2022 द्वारा हुआ था। नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट "27" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 18.01.2025 को कोर्ट कैन्टीन हाल, ढालपुर से किराये के रूप में ₹9,70,499.00 की राशि वसूली हेतु शेष थी तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके कारण बकाया राशि में प्रतिवर्ष बढ़ौतरी हो रही है जोकि गंभीर चिन्ता का विषय है। अतः शीघ्र बांछित अभिलेख तैयार करके उक्त बकाया राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 मोबाइल टावर नवीनीकरण फीस के रूप में ₹13.85 लाख की बकाया राशि की वसूली न करना :-

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद को दिनांक 31.03.22 तक ₹13,85,250.00 की राशि मोबाइल टावर फीस के रूप में वसूलनी शेष थी, जिसका विवरण परिशिष्ट " 28 " में दिया गया है, जोकि एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। अतः इसे शीघ्र वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

(ii) अंकेक्षण में पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2022-23 के पैरा संख्या 13 (ख) में दिनांक 31.03.23 को मोबाइल टावर के किराये की बकाया राशि ₹ 8,79,000.00 दर्शाई गई थी तथा जबकि वर्तमान अंकेक्षण में दिनांक 01.04.23 को मोबाइल टावर के किराये की शेष राशि ₹11,10,250.00 दर्शाई गई है जो कि गत अंकेक्षण में प्रस्तुत बकाया राशि से ₹ 2,31,250.00 अधिक है। अतः बकाया राशि में उक्त अंतर बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में सही सूचना

अंकेक्षण को प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 दशहरा मेला के दौरान आबंटित दुकानों व टेंटों की कुल आय के निर्धारित 37 प्रतिशत के रूप में ₹1325.73 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष :-

मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0सी0डी0-ई(1)-2/2002-खण्ड-1 दिनांक 07.04.2005, जिसमें अध्यक्ष नगर परिषद कुल्लू द्वारा माननीय उच्च न्यायलय शिमला में दायर केस संख्या: CWP No. 797 of 2003 की सुनवाई पर दिये गए फैसले के अतिरिक्त दिनांक 21.02.2005 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक, जिसमें (1) प्रधान सचिव (LAC) (2) सचिव (वित्त) (3) सचिव (UD) (4) सचिव (Law) उपस्थित थे, इस दौरान दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद लिए गए निर्णय के सारांश को अग्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार दशहरा मेला के दौरान मेला मैदान में लगाए जाने वाले टेंट व दुकानों का किराया जिला प्रशासन की मेला कमेटी द्वारा निर्धारित व वसूला जाएगा तथा इस प्रकार प्राप्त कुल आय का 37% भाग जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद कुल्लू के खाते में जमा किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट "29" पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक जिला प्रशासन द्वारा ₹13,25,73,076.00 की राशि नगर परिषद कुल्लू के खाते में जमा की जानी अपेक्षित थी, परन्तु उक्त राशि की नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया। अतः शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 पार्किंग शुल्क :-

(i) नगर परिषद द्वारा 3 कार पार्किंगों को केवल दशहरा मेले के दौरान ही लीज पर देने के कारण पूरे वर्ष में अनुवर्ती हानि होने बारे।

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण के दौरान लीज पर दी गई कार पार्किंगों व कार पार्किंगों के मांग व संग्रहण रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 140-141 पर दर्ज कार पार्किंगों को एक माह के लिए केवल दशहरा मेले के दौरान लीज पर दिया गया था जिससे कि नगर परिषद को कुल ₹ 189600 की आय प्राप्त हुई थी। यदि इन पार्किंगों को नगर परिषद द्वारा पूरे वर्ष के लिए लीज पर दिया जाता तो नगर परिषद द्वारा इस पर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती सकती थी परन्तु नगर परिषद द्वारा पार्किंगों के आवंटन हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी परिणामस्वरूप नगर परिषद को अतिरिक्त आय के रूप में वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 25

दिनांक 26.12.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या एमसीके/पार्किंग/ऑडिट/2023-24/-338 दिनांक 22.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इन पार्किंगों का कार्य चला हुआ था परंतु अब पूरा हो चुका है तथा इनके टेंडर भी कर लिए गए हैं। अतः इस प्रकार की अनुवर्ती हानि होने के कारणों बारे अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये व इन पार्किंगों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस्तावेजों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा नगर परिषद द्वारा इन पार्किंगों का आवंटन करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) नगर परिषद द्वारा Parking Place Near field hostel lower Dhalpur कुल्लू की कार पार्किंग का टेण्डर एक वर्ष की अवधि के बाद समाप्त होने के उपरांत पुनः टेण्डर न करने बारे।

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि **Parking Place Near field hostel lower Dhalpur** की पार्किंग श्री सैलेश शर्मा को 10.03.2023 से 09.03.2024 तक टेण्डर के आधार पर एक वर्ष की अवधि हेतु लीज पर दी गई थी। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल में यह पाया गया कि इस कार पार्किंगों को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत पुनः टेण्डर आमंत्रित किए बिना ही मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 168-169 में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार उपरोक्त पार्किंग को श्री सैलेश शर्मा को ही 10% बढ़ौतरी के साथ आगामी एक वर्ष के लिए पुनः लीज/किराए पर दिया गया था जोकि टेण्डर दस्तावेज की शर्त संख्या 1 के विरुद्ध किया गया कार्य प्रतीत होता है क्योंकि टेण्डर की शर्त 1 के अनुसार उक्त पार्किंग केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही श्री सैलेश शर्मा को लीज/किराए पर दी गई थी तथा उसके उपरांत इस पार्किंग की नीलामी हेतु पुनः टेण्डर करने अपेक्षित थे। जबकि नगर परिषद द्वारा उसी ठेकेदार (Leaser) को 10 % बढ़ौतरी के साथ आगामी एक वर्ष के लिए फिर से कार पार्किंग को किराए पर दे दिया गया था, जोकि कार पार्किंग की नीलामी से सम्बन्धित प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी व किसी व्यक्ति विशेष को लाभ प्रदान करने हेतु किया गया कार्य प्रतीत होता है। जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26 दिनांक 26.12.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त कार पार्किंग को किराए पर देने हेतु टेण्डर प्रक्रिया को न अपनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाये व मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत अकरवाया जाए।

(iii) नगर परिषद द्वारा **Parking Place Near SABA guest house at Dhalpur** की कार पार्किंग को एक वर्ष की अवधि के उपरांत पुनः लीज/किराए पर देने से संबंधित अभिलेख को अंकेक्षण में उपलब्ध न करने बारे ।

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि **Parking Place Near SABA guest house at Dhalpur** की पार्किंग श्री रिमत राम को 10.03.2023 से 09.03.2024 तक एक वर्ष की अवधि हेतु लीज पर दी गई थी । जबकि नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल में यह पाया गया कि इस कार पार्किंगों को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत पुनः लीज/किराए पर दिये जाने से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा न ही मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में 09.03.2024 के उपरांत इस पार्किंग से प्राप्त की जाने वाली आय की प्रविष्टि दर्ज की गई थी । जिसके अभाव में यह ज्ञात करना कठिन है कि इस कार पार्किंग को नगर परिषद द्वारा पुनः लीज पर दिया गया था अथवा नहीं ? जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 26 दिनांक 26.12.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः यदि इस कार पार्किंग को पुनः लीज पर जारी किया गया था तो उससे सम्बन्धित अभिलेख व प्राप्त की गई आय से सम्बन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में शीघ्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(iv) दशहरा मेले के दौरान लीज पर दी गई कार पार्किंगों की नीलामी से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाने बारे ।

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण के दौरान कार पार्किंग के मांग एवं संग्रहण रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्पेशल मेले हेतु तीन कार पार्किंगों को लीज पर दिया गया था जबकि उनकी नीलामी से संबंधित दस्तावेज़ अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 25 दिनांक 26.12.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः इन पार्किंगों की नीलामी से संबंधित दस्तावेज़ों को शीघ्र ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये । विवरण निम्न प्रकार से है :

Sr. No.	Name of Parking	Income During Dussehra festival (Including GST)
1	Parking Near Monal cafe Dhalpur	114000
2	Parking Near Mahila Bhawan	33600
3	Parking near MC office to Tapu bridge	42000
Total		189600.00

(v) नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर दैनिक आधार पर कार पार्किंग शुल्क एकत्रित करने से संबंधित अभिलेख की पड़ताल में पाई गई अनियमितता बारे ।

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न पार्किंगों में दैनिक आधार पर स्वयं ही पार्किंग शुल्क की वसूली की जा रही है । इस संबंध में प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल में यह पाया गया कि क्रम संख्या 1 में दर्ज पार्किंग से माह दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक केवल 4 महीनों हेतु दैनिक आधार पर वसूली की गई थी तथा उसमें भी कुछ अवकाश के दिनों में वसूली नहीं की गई थी, इसी प्रकार क्रम संख्या 2 में दर्ज पार्किंग से माह जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक केवल 3 महीनों हेतु दैनिक आधार पर वसूली की गई थी तथा क्रम संख्या 3 में दर्ज पार्किंग केवल 20 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक लगभग 10 दिनों तक दैनिक वसूली की गई थी जिसमें से 5 दिन में कोई भी आय प्राप्त नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप निम्न पार्किंगों से कुल ₹212594.00 की आय ही प्राप्त की गई थी जबकि अन्य महीनों में प्राप्त की जाने वाली आय से सम्बन्धित अभिलेखों को न ही रजिस्टर में दर्ज किया गया था व न ही इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत किए गए थे जिससे कि इन पार्किंगों से पूरे वर्ष में प्राप्त होने वाली आय पुष्टि की जा सके । जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 27 दिनांक 30.12.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः इन पार्किंगों से पूरे वर्ष में प्राप्त की जाने वाली आय से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किये जाये तथा इन कार पार्किंगों को दैनिक आधार पर वसूली की बजाए टेंडर आधार पर आबंटित न करने के कारणों को भी स्पष्ट किया जाये जिससे की नगर

परिषद के कर्मचारियों की कार्य क्षमता का उपयोग भी किया जा सके व साथ ही टेंडर आधार पर पार्किंग आबंटन करने से आय में भी बृद्धि की जा सके ।

Sr. No.	Name of Parking	Collection Month	Amonut (Inclduing GST)
1	Parking Place Near Monal cafe Dhalpur	December 2023	37201.00
		January 2024	48642.00
		February 2024	42720.00
		March 2024	36632.00
2	Parking Place Khori Ropa	January 2024	10128.00
		February 2024	23652.00
		March 2024	12971.00
3	Parking. near MC office to Tapu bridge	January 2024	648.00
Total			212594.00

20 बजट :-

(i) वर्ष 2023-24 का बजट प्राक्कलन लगभग सात माह विलम्ब से अनुमोदित करवाना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) में प्रावधित है कि नगर पालिका/परिषद का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से 10 मार्च के बीच की अवधि में नगर परिषद सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात् जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि यदि नगर परिषद सदन उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमति नहीं देता है तो सचिव द्वारा सदन की सहमति के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर बजट को अनुमोदन हेतु निदेशक, शहरी विकास को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद का वर्ष 2023-24 का बजट निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या: UD-H(C)(1)-28/2011-19772-73 दिनांक 04.10.2023 द्वारा लगभग सात माह पश्चात् अनुमोदित किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 249(1 व 2) तथा 249(5) के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि लगभग सात माह उपरान्त बजट अनुमोदित करवाने से बजट को तैयार करने का उद्देश्य/महत्व निरर्थक हो जाता है । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः यह मामला उच्च अधिकारियों

के विशेष ध्यानार्थ इस उद्देश्य से लाया जाता है कि भविष्य में समय पर बजट को स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि नगर परिषद के आय व व्यय में स्थिरता लाई जाये व वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके ।

(ii) स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) के रूप में ₹ 867.61 लाख की कम प्राप्ति :-

अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) की पड़ताल में पाया गया कि स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक आय के रूप में ₹ 8,67,60,910.99 की राशि कम प्राप्त की गई थी जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है, स्वीकृत बजट में दिये गए प्रावधान के अनुसार ही आय एकत्रित की जानी चाहिए थी जिससे कि स्वीकृत बजट की सत्यता का आकलन भी किया जा सके । परंतु नगर परिषद कुल्लू द्वारा बजट में दर्शाये गए आंकड़ों की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त कम आय प्राप्त की गई थी जिससे यह प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा कात्पनिक आंकड़े दर्ज करके बजट तैयार किया जा रहा है जिससे कि वित्तीय स्थिति सुदृढ़ प्रदर्शित हो सके । (विवरण निम्न दिया गया है) इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 63 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस उद्देश्य से लाया जाता है कि भविष्य में बजट में केवल उन्हीं आय शीर्षकों को दर्शाया जाये जिससे कि वास्तव में आय प्राप्त की जा रही है । जिससे कि नगर परिषद के द्वारा प्राप्त आय में स्थिरता लाई जाये व वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके तथा साथ ही भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

वर्ष	अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान (₹)	अपने संसाधनों से प्राप्त वास्तविक आय (Income from own Sources) (Actual) (Excluding the income from Interest and grant) (₹)	बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त की गई कम आय (Income from own Sources) (₹)
2023-24	14,10,00,000.00	54239089.01	8,67,60,910.99
	Total		₹ 8,67,60,910.99

(iii) स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में विभिन्न व्यय शीर्षकों के अंतर्गत ₹ 93.45 लाख का अधिक व्यय :-

नगर परिषद कुल्लू का अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक का स्वीकृत बजट एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	स्वीकृत बजट (₹)	वास्तविक व्यय (₹)	अधिक व्यय (₹)
2023-24	19,49,00,000.00	20,42,45,698.31	93,45,698.31

अंकेक्षण के दौरान स्वीकृत बजट की पड़ताल में पाया गया कि संस्थापना व निर्माण कार्य शीर्षक हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय अधिक किया गया जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जबकि स्वीकृत बजट प्रावधान अनुसार ही व्यय किया जाना अपेक्षित था परंतु नगर परिषद कुल्लू द्वारा स्वीकृत बजट की तुलना में ₹ 93,45,698.31 की राशि का अधिक व्यय किया गया था जिसकी अनुमोदन/ स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन / स्वीकृति प्राप्त करके उक्त अधिक व्यय को नियमित करवाने हेतु अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63 दिनांक 21.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस उद्देश्य से लाया जाता है कि भविष्य में स्वीकृत बजट में दर्शाये गए व्यय अनुसार ही वास्तविक व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे की बजट की सत्यता व प्रामाणिकता भी प्रदर्शित हो सके।

21 नगर परिषद कुल्लू के सफाई कर्मचारियों को पिछली तिथि से वर्क चार्जड स्टेटस प्रदान करने से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

नगर परिषद कुल्लू के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न तालिका में दर्ज कर्मचारियों को पिछली तिथि से वर्क चार्जड स्टेटस के अंतर्गत नियमित करने का लाभ प्रदान किया गया था जबकि नगर परिषद एक वर्क चार्जड स्थापना नहीं है। अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में CWP 1156,1175,1176,1177,1178,1182,1183 /2021 द्वारा याचिका दायर की गई

थी जिसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2023 को निम्न कर्मचारियों को पिछली तिथि से नियमित करने के आदेश दिये गए हैं जिसके लिए नगर परिषद से नियम बिन्दुओं में दर्शाये अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	श्रीमती नीलम कुमारी	सफाई कर्मचारी
2	श्रीमती रजनी	सफाई कर्मचारी
3	श्रीमती राज बाला	सफाई कर्मचारी
4	श्रीमती मुन्नी देवी	सफाई कर्मचारी
5	श्रीमती कमलेश कुमारी	सफाई कर्मचारी
6	श्रीमती लाजो	सफाई कर्मचारी
7	श्री राम कुमार	सफाई कर्मचारी

(i) उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय शिमला में CWP 1156,1175,1176,1177,1178,1182,1183 /2021 द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2023 को इन कर्मचारियों को पिछली तिथि से नियमित करने के आदेश दिये गए हैं, की छायाप्रति (photocopy) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई जाये।

(ii) क्या उपरोक्त कर्मचारियों को पिछली तिथि से नियमित करने हेतु उचित सक्षम अधिकारी (Pr. Secretary,UD / Director,UD) से स्वीकृति ली गई थी अथवा नहीं ? यदि ली गई थी तो उचित सक्षम अधिकारी से प्राप्त आदेशों की छायाप्रति (photocopy) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई जाये।

(iii) कर्मचारियों की प्रथम कार्यग्रहण की तिथि (initial date of appointment) से संबन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(iv) उपरोक्त कर्मचारियों को पिछली तिथि से नियमित करने के उपरांत दिये गए वित्तीय लाभों का विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया जाये।

(v) क्या नगर परिषद कुल्लू के कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में Law Department से कोई सलाह ली गई थी अथवा नहीं ? यदि ली गई थी तो उसकी वर्तमान स्थिति को अंकेक्षण को अभिलेख सहित प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 24 दिनांक 26.12.2024 द्वारा तथा स्मरण पत्र अंकेक्षण अध्याचना संख्या 45 दिनांक 20.01.2025 द्वारा इस सम्बंध में अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जबकि कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या न0 प0 /कुल्लू/लेखा शाखा /ऑडिट/-430 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किया गया था परंतु नगर परिषद कुल्लू का अंकेक्षण कार्य समाप्त होने के उपरांत उत्तर प्रस्तुत करने कारण संबंधित अभिलेख की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः इस संबद्ध में उपरोक्त बिंदुओं में दर्शाई गई सूचनाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे की उपरोक्त कर्मचारियों को पिछली तिथि से नियमित करने से संबंधित तथ्यों पुष्टि की जा सके ।

22 निर्माण कार्य :-

(i) निर्माण कार्य की मद संख्या 7 "Quantity of providing and laying factory made chamfered edge cc block in footpath, park, lawn, drive ways or light traffic parking etc. & pattern over 50mm thick compacted bed of sand as per required size and pattern 60mm cc paver block of M-35 grade "के निष्पादन में सम्भावित ₹ 0.14 लाख का अनियमित / अधिक भुगतान ।

निधि का नाम	AMRUT 2.0
निर्माण कार्य का नाम	Up gradation/Dev. of footpath along with RCC R/wall at Ward no. 10
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	74/47-51
आबंटन पत्र संख्या	MCK/EO/LOA/AMRUT/2023/4410-12, dated 14/12/23
संविदाकार का नाम	Sh. Shishir Naag
अनुमानित लागत	₹ 8,20,565.72
अवार्ड राशि	₹ 8,20,299
समापन लागत	₹ 8,20,066

निर्धारित मानको के अनुसार CC Inter Lock Paver Block के प्रकरण में CC Inter Lock Paver Block को मजबूती प्रदान किए जाने के लिए CC Inter Lock Paver Block के दोनों

तरफ CC 1:2:4 की लेयर डाली जाती हैं जिससे CC Inter Lock Paver Block को दोनों तरफ से पकड़ मिल सके । इस प्रकार जिस मात्रा के लिए CC 1:2:4 निष्पादित की जायेगी वहाँ पर CC Inter Lock Paver Block नहीं लगाई जायेगी । उपरोक्त निर्माण कार्य "Up gradation/Dev. of footpath along with RCC R/wall at Ward no. 10" में CC 1:2:4 की निष्पादित की गई मात्रा को CC Inter Lock Paver Block की निष्पादित की गई मात्रा में से कम करके, CC Inter Lock Paver Block की मात्रा का भुगतान संविदाकार को किया जाना अपेक्षित था किन्तु वर्णित निर्माण कार्य के बिल का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद 3 i.e. "Quantity of Providing & Laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering-all work up to plinth level 1:2:4" जिस मात्रा में निष्पादित की गई थी उसी मात्रा के लिए अनुबन्ध की मद 7 i.e. "Quantity of providing and laying factory made chamfered edge cc block in footpath, park, lawn, drive ways or light traffic parking etc. & pattern over 50mm thick compacted bed of sand as per required size and pattern 60mm cc paver block of M-35 grade" का भी भुगतान किया गया था जो कि तय मानकों के विरुद्ध किया गया था । इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध की मद संख्या 7 हेतु ₹ 13713.00 का अधिक भुगतान किया गया । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 49 दिनांक 20.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः इस भुगतान की राशि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Quantity of Providing & Laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering-all work up to plinth level 1:2:4(below paver) As Per MB(Item no. 3)	Quantity of providing and laying factory made chamfered edge cc block in footpath, park, lawn, drive ways or light traffic parking etc. & pattern over 50mm thick compacted bed of sand as per required size and pattern 60mm cc paver block of M-35 grade as per MB(Item no.7)	Quantity of Paver Block as per Audit after deduction of side packing of cc 0.10 minimum each side	excess quantity entered in MB
1x15.3x2.77	1x15.3x2.80=42.84	1x15.3x(2.77-0.20)=39.32	

1x10.10x3.25	1x10.10x3.25=32.83	1x10.10x(3.25-0.20)=30.81	
1x14.10x2.15	1x14.10x2.15=30.32	1x14.10x(2.15-0.20)=27.50	
1x15x2.08	1x15x2.13=31.88	1x15x(2.08-0.20)=28.20	
1x5.3x2.08	1x5.3x2.08=11	1x5.3x(2.08-0.20)=9.97	
Deduction(chamber) 5x3.14x0.45	Deduction(chamber) 5x3.14x0.45=7.07	Deduction(chamber) 5x3.14x0.45=7.07	
	Total = 141.79 Sqm	Total = 128.73 Sqm	Total = 13.06 Sqm
Excess Amount Paid =13.06 x1050 =13713.00			

(ii) निर्माण कार्य की मद संख्या 4" Providing & making Gabion box" के निष्पादन में सम्भावित ₹ 0.07 लाख का अनियमित /अधिक भुगतान ।

निधि का नाम	AMRUT 2.0
निर्माण कार्य का नाम	C/o R.C.C R/wall at lower Dhalpur ward no. 6 (part-3)
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	78/25-30
आबंटन पत्र संख्या	M.C.U/EO/LOA/AMRUT/2023/4389-93 Dated 22.11.2023
संविदाकार का नाम	Sh. Dina Nath Govt. Contractor
अनुमानित लागत	₹ 7,27,600.00
अवार्ड राशि	₹ 6,78,453.35
समापन लागत	₹ 6,85,235.00

माप पुस्तिका संख्या 78 के पेज संख्या 25 पर , मद संख्या -4 में "Providing & making Gabion box" हेतु 7.50 मीटर लंबाई , 1.25 मीटर चौड़ाई, 1.25 मीटर गहराई/ऊंचाई की गई थी तथा आकलन में भी इतनी ही प्रमात्रा हेतु भुगतान किया गया था इसके अतिरिक्त " Excavation of foundation trenches etc. in earth work" की प्रमात्रा 6.0 मीटर लंबाई X 5.5 मीटर चौड़ाई व 3.0 मीटर गहराई हेतु माप कर भुगतान किया गया था तथा वास्तव में जितनी लंबाई व चौड़ाई हेतु खुदाई "excavation" की गई थी उतने ही क्षेत्र में **Gabion box** का कार्य किया जाना अपेक्षित था परंतु मापन पुस्तिका संख्या के पेज संख्या 25 में निम्नानुसार खुदाई "excavation" के वास्तविक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में **Gabion Box** की मात्रा का निष्पादन किया गया है जोकि अनुचित प्रतीत होता है न ही इस सन्दर्भ में माप पुस्तिका में अधिक निष्पादन हेतु विवरण दर्ज किया गया था । इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध की मद संख्या

4 हेतु ₹ 7050 का अधिक भुगतान किया गया । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 50 दिनांक 20.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी पत्र संख्या MCK/EO/Audit Reply/2025/340 दिनांक 22.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि **Gabion Box** के लिए 6 मीटर लंबाई तक खुदाई की गई थी जबकि उसको बंद करने के लिए 1.5 मीटर अतिरिक्त लंबाई ली गई थी । परंतु उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इस अतिरिक्त बढ़ाई गई लंबाई को न ही उचित तकनीकी सक्षम अधिकारी से स्वीकृत किया गया था तथा न ही खुदाई की गई लंबाई से अधिक लंबाई में gabion box लगाया जाना अपेक्षित था । अतः इस भुगतान की राशि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Quantity of Excavation As Per MB	Quantity of providing & making Gabion Box As per MB	Quantity of providing & making Gabion Box (Actually required to be executed)	excess quantity entered in MB
1x6.0x5.5x3.0=99.00 cum	3x2.5x1.25x1.25=11.72 cum	3x2.0x1.25x1.25=9.37 cum	
	Total = 11.72 Cum	total = 9.37 cum	2.35 Cum
Excess Amount Paid = 2.35 x 3000=7050			

(iii) निर्माण कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिकाओं में गणना में त्रुटि के कारण ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करने बारे ।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर परिषद कुल्लू के माप पुस्तिका के जोड़ों की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹4351.00 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 48 दिनांक 20.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Sr. No	Name of work	Name of contractor	MB No/P.No	Name of Item	Quantity as per MB	Actual Quantity	Difference	Rate	Excess Amount
1	C/O creat wire wall near vender market at sarwari kullu phase-1	Sh. Atul Gupta Govt. contt.	71/23-26	"wire crate made of G.I filled with boulder with square cut faces against the wire phase 2(layer-2)"	4x2.5x1.25=12.5 2x1.25x1.25=3.125 4x5x3.75=75 4x3x1.25x1.25=18.75 4x5x5=100 4x4x1.25x1.25=25 4x5x5=100 4x4x1.25x1.25=25 4x5x5=100 4x4x1.25x1.25=25 4x5x3.75=100 4x4x1.25x1.25=25 4x5x3.75=75 4x3x1.25x1.25=18.75 4x5x3.75=75 4x3x1.25x1.25=12.5 4x7.5x2.5=75 6x2x1.25x1.25=18.75 Total = 884.375 sqm.	4x2.5x1.25=12.5 2x1.25x1.25=3.125 4x5x3.75=75 4x3x1.25x1.25=18.75 4x5x5=100 4x4x1.25x1.25=25 4x5x5=100 4x4x1.25x1.25=25 4x5x5=100 4x4x1.25x1.25=25 4x5x3.75=75 4x3x1.25x1.25=18.75 4x5x3.75=75 4x3x1.25x1.25=18.75 4x7.5x2.5=75 6x2x1.25x1.25=18.75 Total = 865.63 sqm.	18.75 sqm	420.00	7875
2	Development of street infrastructure near monal café at Dhalpur	Sh. Amit seth	68/61-68	Dismantling tiled floor/stone/flagged floor laid into mortar upto floor two level	1277.22 sqm	1268.96 Sqm.	8.26 Sqm	130	1074.00
3	Construction of RCC R/Wall at Lower Dhalpur Ward No.6 Part-2	Sh. Dina Nath	78/19-24	P/L M-25 in Wall Vertical Wall, Parapet Wall	15.85 Cum	15.75 Cum	0.10 Cum	6500	650.00
					Total				9599

(iv) AMRUT निधि में निर्माण कार्य हेतु तकनीकी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही ₹ 3.83 लाख की अतिरिक्त मद को कार्य में जोड़ने बारे ।



निर्माण कार्य का नाम	Development of Street Infrastructure(civil Works) Near Monal Café,Dhalpur at Kullu town under AMRUT
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	68/61-68

आबंटन पत्र संख्या	MCK/EO/AMRUT/2019/1929 Dated : 09.05.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Amit Kumar Seth
अनुमानित लागत	₹9731148.00
अवार्ड राशि	₹ 9730152.00

उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि कार्य के प्राकलन (Detailed Estimate) व schedule of Quantity के क्रम संख्या 6 में दर्ज कार्य की मद के अनुसार इस कार्य में 40 mm Thick Kota Stone के कार्य करने हेतु संविदाकार को अवार्ड पत्र जारी किया गया था जबकि अंकेक्षण के दौरान इस कार्य की पड़ताल में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 68 के पृष्ठ संख्या 64 पर 25 mm Thick Kota Stone की 304.75 Sqm की मात्रा हेतु ₹ 1258 की दर से ₹ **383375.00** की राशि का भुगतान संविदाकार को किया गया था । जबकि schedule of Quantity के अनुसार संविदाकार को इस कार्य में केवल 40 mm Thick Kota Stone के कार्य निष्पादन किया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार संविदाकार द्वारा इस कार्य में किए गए बदलाव व अतिरिक्त मद को कार्य में जोड़ने (Add Extra Item Include in work) के संबंध में तकनीकी सक्षम अधिकारी से न ही स्वीकृति ली गई थी तथा न ही Deviation statement व Revised Estimate तैयार किया गया था व न ही इस संबंध में किए गए बदलाव को उचित तकनीकी सक्षम अधिकारी से Test – Check करवाया गया था । जिस कारण उपरोक्त कार्य में किए गए बदलाव को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 51 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः उपरोक्त कार्य में जोड़ी गई अतिरिक्त मद(Extra Item) को उचित तकनीकी सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अनुचित रूप से जोड़ी गई मद की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(v) संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण न करने के उपरांत दण्ड राशि के रूप में ₹ 14.00 लाख की वसूली न करने बारे ।

नगर परिषद द्वारा आबंटन पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार संविदाकार को निर्धारित समय अवधि में कार्य पूरा करने से संबंधित दिशा निर्देश दिये गए हैं । जिसके अनुसार यदि संविदाकार द्वारा इन कार्य को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में संविदाकार को 1% on tender amount प्रतिदिन की दर से अथवा अधिकतम 10%



on tender amount के रूप में दण्ड का प्रावधान रखा गया था। अंकेक्षण में माप पुस्तिका की पड़ताल में पाया गया कि निम्न कार्यों को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था जिनका भुगतान 1 वर्ष के उपरांत भी लगभग 5 वर्ष तक नगर परिषद द्वारा Running बिल द्वारा भुगतान किया गया था। जबकि संविदाकार द्वारा उचित सक्षम अधिकारी से समय सीमा में वृद्धि करने से संबंधित स्वीकृति नहीं ली गई थी। अतः स्पष्ट है कि निम्न कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा न करने उपरांत ₹1400395.00 की राशि दण्ड के रूप में वसूली जानी अपेक्षित थी जोकि वसूल न करके ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 54 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस भुगतान की राशि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No	Name of Fund	Name of work	Name of contractor	MB No/ P.No	Date of Work Awarded	Final Bill Date	Work Completed Amount	Penalty for Delay (@10% Max.)
1	AMRUT	Development of Akhara Bazar Parking (civil Works) at Kullu town under AMRUT (5 th & final Bill)	Sh. Amit Kumar Seth	73/58-68	09.05.2019	11.03.2024	6065370.70	606537.00
2	AMRUT	Development of Street Infrastructure(civil Works) Near Monal Café,Dhalpur at Kullu town under AMRUT	Sh. Amit Kumar Seth	68/61-68	09.05.2019	07.03.2024	7938579.00	793858.00
		Total						1400395.00

(vi) नगर परिषद द्वारा ₹ 13.43 लाख का निर्माण कार्य हेतु ई-टेंडरिंग किए बिना ही अनियमित व्यय करने बारे।

निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या UD-H(F)- Tender-Engg-Cell -23793-847 दिनांक 07.04.2015 के अनुसार अवधि 21-03-2016 तक ₹ 1 लाख तथा अवधि 21-03-2016 के पश्चात ₹ 5

लाख से अधिक के सामान क्रय हेतु E-Tendering की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा **C/o of creat wall near vender market at sarvari Kullu Phase-1** के निर्माण कार्य को करने हेतु **₹ 817275.00** का अनुमानित प्राकलन (Estimate) तैयार किया गया था जोकि E-Tendering के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था परंतु नगर परिषद द्वारा E-Tendering को avoid करके ऑफलाइन tender प्रक्रिया के माध्यम से श्री अतुल गुप्ता को **₹ 1343427.00** में कार्य का आबंटन किया गया था , जिससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा जानबूझ कर E-Tenderring को avoid करके किसी व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ दिए जाने हेतु इस कार्य के टेण्डर को ऑफलाइन किया गया था । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 57 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः E-Tendering को avoid करके निर्माण कार्य हेतु का आबंटन करना किसी व्यक्ति विशेष को **₹ 1343427.00** अवार्ड/समापन की गई राशि जोकि अनुमानित लागत से लगभग 64 % अधिक दर पर अनुचित लाभ दिए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(vii) निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक/कम विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान:-

नगर परिषद कुल्लू के लेखों अवधि 04/2023 से 03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पड़ताल में निर्माण कार्यों के बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि लगभग प्रत्येक कार्य का वास्तविक निष्पादन उस कार्य की टैंडर राशि के मुकाबले अधिक अथवा कम होने के कारण विचलन आया है। इस सन्दर्भ में प्रतिपादित नियमों के अनुसार टैंडर राशि के मुकाबले वास्तविक निष्पादन के दौरान 10% से कम अथवा अधिक विचलन की स्थिति में सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व इस विचलन को सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति से नियमित किया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा इन नियमों की किसी भी प्रकार से अनुपालना नहीं की है तथा निम्न कार्य के अंतिम बिल भुगतान बिना विचलन को स्वीकृत करवाए ही कर दिया गया है । उदाहरण हेतु सन्दर्भित प्रकरण में विचलन 18.41 प्रतिशत कम में पाया गया है । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः इस सन्दर्भ

में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं0	निर्माण कार्य का नाम	एम. बी. संख्या	संविदाकार का नाम	अवार्ड राशि (₹)	निष्पादित कार्य राशि (₹)	विचलन राशि (₹)	विचलन प्रतिशत कम/ अधिक
1	Development of Street Infrastructure(civil Works) Near Monal Café,Dhalpur at Kullu town under AMRUT	68/61-68	Sh. Amit Kumar Seth	9730152.00	7938579.00	1791573.00	18.41% (कम)

(viii) नगर परिषद कुल्लू द्वारा AMRUT निधि से एक ही प्रकार के कार्य को करने हेतु टेंडर राशियों का खंडन (Spilting of tender) करके एक ही संविदाकार को ₹ 24.10 लाख का अनुचित लाभ प्रदान करने बारे ।

नगर परिषद कुल्लू के AMRUT निधि के चयनित माह के व्यय वाउचरो से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा Construction of RCC R/Wall at Lower Dhalpur Ward No.6 के कार्य की टेंडर फाइल/भुगतान बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया निम्न विवरणानुसार इस कार्य को करने हेतु एक साथ टेंडर लगाने की जगह अलग-2 टेंडर लगाए गए थे जिस कारण इन कार्यों को करने हेतु ₹ 2410233.00 का व्यय किया गया था तथा एक साथ एक ही दिन में अलग – अलग अवार्ड पत्र संख्या के द्वारा एक ही संविदाकार को कार्य का आवंटन किया गया था जोकि संविदाकार को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने हेतु किया गया प्रतीत होता है । जबकि यदि इन कार्य हेतु एक ही टेंडर लगाया जाता तो नगर परिषद द्वारा बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर टेंडर की राशि में कमी सम्भावित थी । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने

का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी पत्र संख्या MCK/EO/Audit Reply/2025/410 दिनांक 24.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि सहायक अभियंता, नगरपालिका को 10 लाख तक के निर्माण कार्य को तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति है जिससे कि निम्न टेंडर ऑनलाइन करवाए गए थे। उत्तर संतोष जनक नहीं है। अतः एक ही प्रकार के कार्य को करने के लिए अलग अलग टेंडर लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr. No.	Work Name	Award Letter/Date	Name of Contractor	Awarded Amount (₹)	Remarks
1	Construction of RCC R/Wall at Lower Dhalpur Ward No.6 (Part-1)	MCK/EO/AMRUT/2023/4380-83 Dated : 22.11.2023	M/s Dinanath	883658.60	Splitting of tender
2	Construction of RCC R/Wall at Lower Dhalpur Ward No.6 (Part-2)	MCK/EO/AMRUT/2023/4384-88 Dated : 22.11.2023	M/s Dinanath	882845.60	
3	Construction of RCC R/Wall at Lower Dhalpur Ward No.6 (Part-3)	MCK/EO/AMRUT/2023/4389-93 Dated : 22.11.2023	M/s Dinanath	678453.35	
	Total			2444957.55	

(ix) ठेकेदार के बिलों से TDS, GST, Labour Cess, Royalty के रूप में कटौती की गई ₹15.64 लाख राशि को सम्बन्धित सरकारी विभागों में जमा करने से संबंधित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

अंकेक्षणाधीन अवधि में चयनित माह 03/2024 के निर्माण कार्यो/भुगतान बिलों से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा नियमानुसार ठेकेदारों के बिलों से संलग्न विवरणानुसार विभिन्न तरह की संवैधानिक कटौतियाँ तो की गई है लेकिन नगर

परिषद द्वारा ₹1564238.00 की कटौती की गई राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाने से संबंधित अभिलेखों को अंकेक्षण में आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कटौती की गई राशियों की संबंधित विभाग में जमा करने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जो कि गंभीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 59 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः संबंधित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाये व शीघ्र अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Name of Work/Product	Name of Contract or/Firm	Vr. No.	Head	Labour Cess (₹)	GST (₹)	IT/TDS (₹)	Royalty (₹)
1	C/O Creat wall near vender Market at Sarwari Phase-1	Sh. Atul Gupta	not mention/ March 2024	GENERAL HEAD	13434	26868	26869	94319
2	C/O R/wall behind bhart bharti school ward no-10	Sh. Dan Singh	not mention/ March 2024	GENERAL HEAD	5198	10395	10394	16310
3	Repair & Maintenance of Path Hanuman Bag to DC office	Sh. Atul Gupta	not mention/ March 2024	GENERAL HEAD	2050	4100	4100	9005
4	P/F CGI sheet roof MRF site at sarwari ward no. 3	Sh. Dina Nath	not mention/ March 2024	GENERAL HEAD	6160	12319	12320	1378
5	C/O Creat wall gau sadan at lanka baker,Phase-1	Sh. Sanjeev Kumar	not mention/ March 2024	CFC	5337	10673	10673	29814
6	Cost of 63 mm HDPE pipe sprinkler system with five sprinkler system all accessories	Orchard Enterprises	not mention/ March 2024	CFC	0	0	1895	0
7	WB20XD Water Pump,Frame No. WAYD-1005319	Orchard Enterprises	not mention/ March 2024	CFC	0	0	718	0
8	Hire of tipper for carry dry waste to kullu to energy plant rangri Manali	Sh. Dan Singh	not mention/ March 2024	CFC	0	0	5978	0
9	Providing of door to door garbage collection & sweeping work zone-2	Sh. Praveen Kumar	not mention/ March 2024	CFC	0	11580	11580	0

10	Providing of door to door garbage collection & sweeping work & other sanitation waork zone-1	Sh. Dan Singh	not mention/ March 2024	CFC	0	13020	13020	0
11	Providing of door to door garbage collection & sweeping work & other sanitation waork zone-1	Sh. Dan Singh	not mention/ March 2024	CFC	0	13020	13020	0
12	Providing of door to door garbage collection & sweeping work & other sanitation waork zone-1	Sh. Dan Singh	not mention/ March 2024	CFC	0	13020	13020	0
13	Development of RamShilla Parking at kullu town	Sh. Amit Kumar Seth	not mention/ March 2024	AMRUT	1868	3736	3736	27175
14	Rehabilitation and Development of Nallah,kullu,shashtri nagar nallah	Sh. Shubhir Sharma	not mention/ March 2024	AMRUT	16916	33832	33832	99151
15	Development of street infrastructure near monal café at dhalpur	Sh. Amit Kumar Seth	not mention/ March 2024	AMRUT	23691	47383	47383	75196
16	Construction of RCC Retaining wall at lower Dhalpur Ward no. 6,part-3	Sh. Dina Nath	not mention/ March 2024	AMRUT	6852	13704	13704	18880
17	Construction of RCC Retaining wall at lower Dhalpur Ward no. 6 part-2	Sh. Dina Nath	not mention/ March 2024	AMRUT	8446	16892	16892	21545
18	Construction of RCC Retaining wall at lower Dhalpur Ward no. 6 part-1	Sh. Dina Nath	not mention/ March 2024	AMRUT	8804	17608	17608	24209
19	Development and construction of parking at akhara bazar kullu town	Sh. Amit Kumar Seth	not mention/ March 2024	AMRUT	60654	121307	121307	182262
20	Upgradation/Development of footpath along with RCC retaining wall at ward no. 10	Sh. Shishir Naag	not mention/ March 2024	AMRUT	8201	16401	16401	17075
Total					167611	385858	394450	616319

23 नगर परिषद द्वारा अपील संख्या CWP 2243/2023 Vineet Prashar V/s DC Kullu & other मामले हेतु वकील को ₹ 1.35 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे ।

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षणाधीन अवधि के व्यय वाउचरो की पड़ताल में पाया गया कि वाउचर संख्या 31 दिनांक 04.12.2023 को नगर परिषद द्वारा श्री बिमल गुप्ता (Advocate) को माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश में दर्ज अपील संख्या CWP 2243/2023 Vineet Prashar V/s DC Kullu & other मामले हेतु सलाहकार शुल्क के रूप में **₹ 135000.00** का भुगतान किया गया था । जबकि नगर परिषद कुल्लू द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित मामले हेतु श्री नवीन भारद्वाज (Advocate) को **₹ 7000.00** प्रति केस सलाहकार शुल्क निर्धारित किया गया था । जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक केस हेतु **₹ 135000.00** का अनियमित व्यय किया गया था । उक्त भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी नहीं ली गई थी । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 43 दिनांक 17.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि पालिका की साधारण बैठक दिनांक 31.05.2023 को प्रस्ताव संख्या 15 में जिस अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है को **₹ 135000** की राशि सर्व सहमति से दिये जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः इस भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Case No.	Case Parties as per information provide by MC Kullu	Subject matter	Decide date as per information provide by MC Kullu	Name of Advocate	Consultancy fee	Consultancy fee per case as information provide by MC Kullu
CWP 2243/2023	Vineet Prashar V/s DC Kullu on behalf of MC Kullu	Peepal Mela Doom case (CWP Under Article 226)	28.06.2024	Sh. Bimal Gupta	135000.00	7000.00

24 अस्थाई अग्रिम ₹ 12.52 लाख का समायोजन न करना :-

नगर परिषद के वर्ष 2023-24 के लेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिए गये अग्रिम राशियों ₹ 1252029.00 का समायोजन 31.03.2024 तक शेष था जबकि नियमानुसार उद्देश्य की पूर्ति के 15 दिनों के अंदर अग्रिम राशि का समायोजन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अंकेक्षण को प्रस्तुत अस्थाई अग्रिम से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये गए अस्थाई अग्रिम काफी लम्बी अवधि से समायोजन हेतु लंबित हैं जबकि समय-2 पर अंकेक्षण द्वारा आपत्ति भी दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके समायोजन हेतु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि एक गंभीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 60 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः शीघ्र परिशिष्ट “ 30” में दिये गए विभिन्न अग्रिमों का समायोजन किया जाये अन्यथा लम्बित पड़ी वर्णित अग्रिम राशियों की वसूली दण्ड ब्याज सहित करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

25 15 वां वित्तायोग निधि से Organic Waste Composter की खरीद हेतु ₹ 70.00 लाख की व्यय की गई राशि को निदेशालय से पुनः प्राप्त न करने बारे :-

नगर परिषद कुल्लू के वर्ष 2023-24 के दौरान CFC निधि के व्यय वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निदेशक शहरी विकास विभाग के आदेशानुसार CFC निधि से ₹9916700 की Organic Waste Composter की खरीद हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें निदेशक, शहरी विकास ने अपने पत्र संख्या UD-(H)(1)-1/2015-(SWM Cluster)-II-9438-98 दिनांक 12.06.2023 द्वारा सूचित किया गया कि Organic Waste Composter की खरीद हेतु व्यय की गई राशि को विभाग द्वारा recoupe कर दिया जाएगा। जबकि अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 में CFC निधि से Organic Waste Composter की खरीद हेतु ₹ 7000000 की राशि व्यय की गई थी परन्तु इसकी पुनः प्राप्ति (Recoupe) के संबंध में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लायी गई थी जिससे कि उपरोक्त मशीनरी की खरीद हेतु 15 वे वित्तायोग से व्यय की गई राशि को वापिस प्राप्त किया जा सके तथा जिस उद्देश्य हेतु 15 वे वित्तायोग की अनुदान राशि की प्राप्ति हुई है उसका उपयोग उसी कार्य में किया जा सके। इस

सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32 दिनांक 04.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या एम.सी.के./स्वच्छता/(ऑडिट)/2024-25/-466 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस बारे निदेशालय से पत्राचार किया गया है जैसे ही पालिका को धन राशि प्राप्त होती है वैसे ही अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अतः अंकेक्षण को यह स्पष्ट किया जाये कि उपरोक्त व्यय की गई राशि की मांग हेतु कार्रवाई की गई थी अथवा नहीं ? यदि की गई थी तो उससे संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाये तथा यह भी स्पष्ट करें कि कुल कितनी राशि प्राप्त कर ली गई है ।

26 MMSAGY निधि के अंतर्गत जॉब कार्ड धारकों को सामान्य निधि व CFC निधि से किए गए ₹ 7.29 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति न करने बारे ।

नगर परिषद कुल्लू के वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य निधि व CFC निधि के व्यय वाउचरो की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार MMSAGY में पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों को दैनिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है । जबकि नगर परिषद कुल्लू द्वारा MMSAGY निधि के रख- रखाव के लिए अलग से खाता संख्या 60413813987 का परिचालन किया जा रहा है तथा इस निधि हेतु अलग से अनुदान प्राप्त किया जा रहा है । नगर परिषदों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2023-24 में इस निधि के अंतर्गत कुल ₹1061550 की राशि का व्यय किया गया था तथा वर्ष 2023-24 में इस निधि के अंतर्गत केवल ₹332525 की अनुदान राशि प्राप्त की गई थी परिणामस्वरूप नगर परिषद द्वारा प्राप्त अनुदान की एवज में ₹ 729025 की राशि का अधिक व्यय किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति अंकेक्षण अवधि के दौरान नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34 दिनांक 07.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या एम.सी.के./स्वच्छता/(ऑडिट)/2024-25/-469 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि बकाया राशि ₹729025/- की राशि वर्ष 2024-25 में प्राप्त कर ली गई है ,उत्तर अंकेक्षण समाप्ति के बाद प्रस्तुत करने के कारण अभिलेखों की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः इस राशि की उचित स्रोत से वसूली के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

27 घर द्वार से कूड़ा एकत्रित (Door to Door Garbage Collection) करने हेतु Zone-II के ठेकेदार को ₹ 0.30 लाख की राशि का अनियमित भुगतान करने बारे ।

नगर परिषद द्वारा CFC निधि से प्रतिमाह घर द्वार से कूड़ा एकत्रित (Door to Door Garbage Collection) करने हेतु ज़ोन -I व ज़ोन -II के ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है । चयनित माह के बिल संख्या 1252 दिनांक 19.03.2024 के अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि ज़ोन -II के ठेकेदार श्री प्रवीण कुमार द्वारा नगर परिषद कुल्लू को सफाई कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति से संबंधित मस्ट्रोल के अनुसार माह फरवरी 2024 में दिनांक 26.02.2024 से 29.02.2024 तक कुल 4 दिन की 20 कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी परंतु ठेकेदार को उस माह की सफाई हेतु पूर्ण राशि का भुगतान किया गया था । जबकि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार 4 दिन तक 20 मजदूर काम पर उपस्थित नहीं थे । परन्तु अनुबंध की शर्त संख्या 2.4 (5) के अनुसार ठेकेदार को कुल 46 मजदूर नगर परिषद में साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु उपलब्ध करवाने होंगे तथा शर्त संख्या 2.4 (iii) के अनुसार ठेकेदार को सफाई का मासिक बिल सफाई कर्मचारियों की दैनिक हाज़िरी के साथ नगर परिषद कार्यालय में जमा करवाना होगा । जबकि प्रस्तुत अभिलेखानुसार 20 सफाई कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति 4 दिनों तक दर्ज नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप ठेकेदार को माह फरवरी 2024 में ₹ 30000 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 36 दिनांक 07.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उचित स्रोत से वसूली के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

क्रम संख्या	बिल संख्या /दिनांक	निधि का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल सफाई कर्मचारी	अनुपस्थित दिनों की संख्या	अनुपस्थित सफाई कर्मचारियों की संख्या	कुल अनुपस्थित दिन	भुगतान दर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
1	1252/19.03.24	CFC	Sh. Praveen Kumar	46	4	20	80	375	30000

28 नगर परिषद द्वारा बिजली के बिलों पर Late Payment Surcharge के रूप में ₹ 1117 का अनियमित भुगतान करने बारे ।

नगर परिषद के चयनित माह के व्यय वाउचरो की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बिजली विभाग को निम्न विवरणानुसार विभिन्न बिलों का भुगतान Late Payment Surcharge के साथ किया गया था। जबकि यदि इन बिलों का भुगतान बिजली विभाग द्वारा निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पहले कर दिया जाता तो नगर परिषद को Late Payment Surcharge के रूप में ₹ 1117.00 की हानि नहीं उठानी पड़ती जोकि नगर परिषद के कर्मचारियों की कार्य के प्रति लापरबाही को दर्शाता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 56 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बिजली बिलों का भुगतान Late Payment Surcharge के साथ करने के कारणों को स्पष्ट किया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Consumer ID	Name	Bill No.	Date	Late Payment Surcharge
1	100006001773	EO MC Kullu	110000815265	12.03.24	34.29
2	100006001674	EO MC Kullu	110000814356	11.03.24	55.24
3	100006001675	EO MC Kullu	110000814359	11.03.24	22.53
4	100006001678	EO MC Kullu	110000817300	13.03.24	18.18
5	100006001680	EO MC Kullu	150000815119	13.03.24	86.73
6	100006001681	EO MC Kullu	140000972671	13.03.24	2.08
7	100006001685	EO MC Kullu	140000972618	13.03.24	76.74
8	100006001687	EO MC Kullu	120000813602	13.03.24	2.08
9	100006001686	EO MC Kullu	140000972662	13.03.24	2.08
10	100006001688	EO MC Kullu	190000816615	13.03.24	2.08
11	100006001689	EO MC Kullu	110000817330	13.03.24	2.07
12	100006001690	EO MC Kullu	150000815141	13.03.24	15.44
13	100006001692	EO MC Kullu	160000815251	12.03.24	48.79
14	100006001696	EO MC Kullu	100000816332	13.03.24	56.85
15	100006001670	EO MC Kullu	100000814309	12.03.24	45.09
16	100006001671	EO MC Kullu	180000816699	13.03.24	2.08
17	100006001672	EO MC Kullu	150000815086	13.03.24	35.66
18	100006001673	EO MC Kullu	120000810787	11.03.24	29.29

19	100006001676	EO MC Kullu	170000820757	13.03.24	38.40
20	100006001677	EO MC Kullu	160000817290	13.03.24	28.41
21	100006001679	EO MC Kullu	190000816592	13.03.24	48.23
22	100006001682	EO MC Kullu	190000816594	13.03.24	108.80
23	100006001683	EO MC Kullu	190000813720	11.03.24	38.32
24	100006001684	EO MC Kullu	170000817885	11.03.24	15.36
25	100006001691	EO MC Kullu	130000818139	13.03.24	17.70
26	100006001693	EO MC Kullu	190000816557	13.03.24	69.81
27	100006001694	EO MC Kullu	120000813537	13.03.24	48.79
28	100006001695	EO MC Kullu	130000818096	13.03.24	31.07
29	100006001697	EO MC Kullu	170000818806	12.03.24	43.40
30	100006001774	EO MC Kullu	150000813097	12.03.24	2.09
31	200002033288	EO MC Kullu	18000803544	20.02.24	33.83
32	200002042370	EO MC Kullu	180000813829	11.03.24	2.07
33	200002042371	EO MC Kullu	130000818108	13.03.24	7.63
34	200002042373	EO MC Kullu	110000817310	13.03.24	2.07
35	200002042507	EO MC Kullu	220017224452	12.03.24	2.17
36	200002046078	EO MC Kullu	150000812256	11.03.24	13.02
37	200002046077	EO MC Kullu	130000818159	13.03.24	6.96
38	200002046088	EO MC Kullu	110000817314	13.03.24	11.51
39	200002046090	EO MC Kullu	170000817886	11.03.24	10.02
Total					1117

- 29 लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिये गए विज्ञापनों पर किए गए भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व को हुई ₹0.12 लाख की हानि बारे :-

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या -2006/01-15 pub-92-14263 दिनांक 30.08.2006 व पत्र संख्या 1 & PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 05.07.2013 में दिये गए दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्डों, कारपोरेशन द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण अवधि में विभिन्न व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विज्ञापन के रूप में ₹ 78,131.36 का भुगतान विभिन्न फर्मों एवं व्यक्तियों को किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमांक संख्या	वाउचर संख्या	बिल संख्या	कुल क्षेत्रफल	दर (₹)	भुगतान राशि (₹)	%15 कटौती के रूप में हानि (₹)
1	Not mentioned/ march 24/own	1005591704 dated 29.02.24,the hind samachar ltd.	240 sqr. Cm	45	10,800	1620
2	Not mentioned/f eb 24/AMRUT	24054 dated 15.08.23,Adwin Advertisement agency	96 sqr. Cm	70.39	6757.44	1013.62
3	Not mentioned/f eb 24/AMRUT	24055 dated 18.08.23,Adwin Advertisement agency	60 sqr. Cm	61.65	3699	554.85
4	Not mentioned/f eb 24/AMRUT	24059 dated 26.09.23,Adwin Advertisement agency	168 sqr. Cm	70.39	11825.52	1773.83
5	Not mentioned/f eb 24/AMRUT	24070 dated 02.11.23,Adwin Advertisement agency	144 sqr. Cm	42.72	6151.68	922.75
6	Not mentioned/f eb 24/AMRUT	24079 dated 05.11.23,Adwin Advertisement agency	80 sqr. Cm	25.85	2895.20	434.28
7	Not mentioned/f eb 24/AMRUT	24090 dated 17.11.23,Adwin Advertisement agency	108 sqr. Cm	70.39	7602.12	1140.32
8	Not mentioned/f eb 24/AMRUT	23/D/005291 dated 20.07.2023, Divya himachal parkashan pvt. Ltd.	192 sqr. Cm	30.04	5767.68	865.16
9	Not mentioned/f eb 24/AMRUT	23/D/005291 dated 20.07.2023, Divya himachal parkashan pvt. Ltd.	192 sqr. Cm	21.41	4110.72	616.61
10	Not mentioned/f eb	23/D/008819 dated 26.09.2023, Divya himachal	216 sqr. Cm	30.04	6488.64	973.30

11	24/AMRUT Not mentioned/f eb 24/AMRUT	parkashan pvt. 23/D/008819 dated 26.09.2023, Divya himachal parkashan pvt. Ltd.	216 sqr. Cm	21.41	4624.56	693.69
12	24/AMRUT Not mentioned/f eb 24/AMRUT	23/D/011860 dated 16.11.2023, Divya himachal parkashan pvt. Ltd.	144 sqr. Cm	30.04	4325.76	648.86
13	24/AMRUT Not mentioned/f eb 24/AMRUT	23/D/011860 dated 16.11.2023, Divya himachal parkashan pvt. Ltd.	144 sqr. Cm	21.41	3083.04	462.46
कुल राशि					78,131.36	11719.73

उपरोक्त राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से व्यय नहीं की गई थी, जोकि सरकार के नियमों की अवहेलना है। उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्त के अनुसार यदि विज्ञापन पर व्यय की गई राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से व्यय की गई होती तो व्यय 15% कम होता। इस प्रकार सरकारी राजस्व के रूप में ₹11719.73 (78,131.36 x 15%) की वित्तीय हानि हुई थी। उक्त सरकारी राजस्व की हानि का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 47 दिनांक 20.01.2025 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या न.प./कुल्लू/लेखा/आडिट/22/4223 दिनांक 21.10.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में विज्ञापन लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से ही दिया जायेगा। अतः इस सन्दर्भ में ₹11719.73 की राशि के रूप में हिमाचल प्रदेश को हुई राजस्व की हानि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली उपरान्त कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 (i) नगर परिषद की गाड़ियों में डीज़ल भरवाने हेतु मांग पत्रों (Indent) को अंकेक्षण जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे।

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्तमान में दो गाड़ियाँ चलाई जा रही है जिसमें एक गाड़ी कूड़ा उठाने हेतु प्रयोग की जा रही है तथा दूसरी गाड़ी कार्यालय प्रयोग हेतु रखी गई है। जिसमें डीजल भरवाने से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त गाड़ियों में विभिन्न तिथियों में भरे गए डीजल का भुगतान गाड़ी के चालक के खाते में किया जाता है अन्यथा एक माह की अवधि के पश्चात एक मुश्त

में किया जाता है जिससे कि यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि एक माह में कुल कितने डीजल भरवाने की आवश्यकता है तथा कितने दिनों में डीजल की खपत हो जाती है। जांच में यह भी पाया गया कि गाड़ियों में डीजल भरवाने हेतु indent (मांग पत्र) नहीं भरा गया था जिससे कि डीजल भरने की आवश्यकता का पता लगाया जा सके व डीजल भरने हेतु उचित सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है परंतु नगर परिषद कुल्लू द्वारा गाड़ियों में डीजल भरने से संबंधित मांग पत्र (indent) जारी नहीं किए गए थे तथा न ही इस प्रकार का अभिलेख अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 42 दिनांक 02.01.2025 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या न.प./कुल्लू/लेखा शाखा /आडिट/339 दिनांक 22.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में नगर परिषद की गाड़ियों में डीजल मांग पत्र के अनुसार भरा जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि गाड़ियों में डीजल भरने से पहले indent जारी किया जाना अपेक्षित है तथा indent को उचित सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाने के उपरांत ही गाड़ियों में डीजल भरना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) वाहन संख्या एच०पी० 34 E 4384 की औसत को प्रमाणित न करवाने बारे :-

अंकेक्षण में पाया कि उक्त वाहन की औसत वर्ष 2023-24 में 5 किलोमीटर प्रति लीटर थी लेकिन अंकेक्षण अवधि में अगस्त माह के अंत में औसत 5 से 4.28 पाई गई। उक्त वाहनों की औसत को किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा भी प्रमाणित नहीं किया गया था जिससे उक्त वाहन में खपत तेल की सत्यता का पता नहीं चल सका एवं वाहनों के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 42 दिनांक 02.01.2025 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या न.प./कुल्लू/लेखा शाखा /आडिट/339 दिनांक 22.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस वाहन की औसत को प्रमाणित कर लिया जाएगा। अतः किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा औसत को प्रमाणित करवाया जाये व प्रमाणित औसत से कम औसत पाये जाने पर वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए।

31 बिजली उपकरण की प्राप्ति न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG(B)(1)-9/94 दिनांक 08.11.99 एवं हि.प्र. म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर उपयोग की

गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर प्राप्त करके संबन्धित नगर परिषद को अदा करना था । अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद कुल्लू द्वारा बिजली उपकर की प्राप्ति से संबन्धित कोई अभिलेख नहीं रखे गए थे और न ही संबन्धित विभाग द्वारा अंकेक्षण अवधि का उपकर नगर परिषद को भुगतान किया गया था, जिसकी प्राप्ति संबन्धित विभाग से सुनिश्चित करने हेतु अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38 दिनांक 15.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या न.प./कुल्लू/लेखा/ऑडिट /459 दिनांक 24.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि बिजली विभाग से उपकर की प्राप्ति के लिए समय – समय पर पत्राचार किया गया है परंतु संबन्धित विभाग से कोई भी उपकर प्राप्त नहीं हुआ है । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये एवं भविष्य में यथासमय बिजली उपकर का बिजली के बिलों में समायोजन करवाना सुनिश्चित करें ।

32 शराब कर के उपदान की प्राप्ति न करना :-

अंकेक्षण के दौरान आय से प्राप्त अभिलेखों की पड़ताल में पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग से वर्ष 2023-24 में शराब कर का उपदान की बकाया राशि एवं उसकी प्राप्ति से संबन्धित कोई अभिलेख नहीं रखे गए थे और न ही संबन्धित विभाग द्वारा अंकेक्षण अवधि का उपकर नगर परिषद को भुगतान किया गया था, जिसकी प्राप्ति संबन्धित विभाग से सुनिश्चित करने हेतु अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38 दिनांक 15.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या न.प./कुल्लू/लेखा/ऑडिट /459 दिनांक 24.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उपकर की प्राप्ति के लिए समय – समय पर पत्राचार किया गया है परंतु संबन्धित विभाग से कोई भी उपकर प्राप्त नहीं हुआ है । अतः इसकी प्राप्ति एवं बकाया राशि से संबन्धित अभिलेखों को शीघ्र अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व संबन्धित विभाग में इस मामले को उठाया जाये ।

33 अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

(i) पीपल मेला 2023-24 में डोम से प्राप्त ₹ 28.40 लाख की आय से संबन्धित टेण्डर अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करवाने बारे ।

नगर परिषद कुल्लू के वर्ष 2023-24 के चयनित माह की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा माह अप्रैल 2023 में पीपल मेले में लगाए गए डोम से कुल ₹2840000.00 की आय प्राप्त की गई थी जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 18 दिनांक

21.04.2023 को दर्ज की गई है जबकि इस आय से संबंधित टेण्डर फाइल ,खुली बोलियों से संबंधित दस्तावेज़, डोम का अनुमानित क्षेत्र तथा डोम की संख्या से सम्बन्धित अभिलेखों को शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे प्राप्त आय की पुष्टि की जा सके । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 38 दिनांक 15.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः सम्बन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे की वास्तव में प्राप्त की जाने वाली आय की पुष्टि की जा सके ।

क्रम संख्या	रसीद संख्या	राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या
1	Through online,दिनांक 21.04.23	1420000.00	18
2	Through online, दिनांक 21.04.23	1420000.00	18
	कुल	2840000.00	

(ii) Atal Shresth निधि से Visit Cum Study Tour to Goa की यात्रा हेतु दी गई अग्रिम राशि ₹ 06.48 लाख के समायोजन से संबंधित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

नगर परिषद के वर्ष 2023-24 के लेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा Atal Shresth निधि से Visit Cum Study Tour to Goa की यात्रा हेतु विभिन्न Nest Tour and Travel को ₹ 324000.00 की राशि अग्रिम में दी गई थी तथा शेष ₹ 324000.00 की राशि को मुख्य निधि में स्थानांतरित करने के उपरांत मुख्य निधि से अग्रिम भुगतान किया गया था । सम्बन्धित भुगतान बिलों की पड़ताल में पाया गया कि Visit Cum Study Tour to Goa नगर परिषद के 12 सदस्यों द्वारा यात्रा की गई थी जिसमें ₹ 648000.00 का कुल भुगतान Nest Tour and Travel को किया गया था परंतु नगर परिषद द्वारा इस यात्रा से संबंधित निदेशक, शहरी विकास से प्राप्त स्वीकृति पत्र, व्यय की गई राशि के समायोजन से संबंधित बिल वाउचर , यात्रा हेतु लगाए गए टेंडर से संबंधित फाइल तथा Nest Tour and Travel फ़र्म द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 61 दिनांक 21.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी

प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः अग्रिम राशियों का समायोजन न करने का पूर्ण औचित्य से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा इससे संबन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में शीघ्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अनुचित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(iii) MMSAGY निधि के अंतर्गत जॉब कार्ड धारकों को किए गए ₹ 0.63 लाख भुगतान के संबंध में ऑनलाइन उपस्थिति से संबन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।

नगर परिषद कुल्लू के वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा माह फरवरी 2024 में 7 जॉब कार्ड धारकों को कार्य करने हेतु मुख्य निधि से दिनांक 28.03.2024 को ₹ 63375.00 की राशि का भुगतान किया गया था जबकि भुगतान से संबन्धित अभिलेखों जैसे कि जॉब कार्ड संख्या, नगर परिषद द्वारा दिये गए कार्य का विवरण (Work Assign by MC), ऑनलाइन दर्ज की गई उपस्थिति से संबन्धित विवरण इत्यादि दस्तावेजों को अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके अभाव में किए गए भुगतान को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि MMSAGY निधि के अंतर्गत केवल जॉब कार्ड धारकों को ही कार्य दिया जाएगा तथा उनके द्वारा किए गए दैनिक कार्य की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज करने के उपरांत ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33 दिनांक 04.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या एम.सी.के./स्वच्छता/(ऑडिट)/2024-25/-468 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण भुगतान ऑफलाइन किया गया था जिस बारे निदेशालय से पत्राचार किया गया था। अतः निदेशालय से प्राप्त MMSAGY की ऑफलाइन हाजिरी लगाने से संबन्धित स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम संख्या	नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	दर (₹)	राशि (₹)
1	सुमित्रा महंत	25	375	9375
2	जोगिन्द्र सिंह	23	375	8625
3	वृकमु	24	375	9000

4	सावित्री	25	375	9375
5	अनिल कुमार	25	375	9375
6	गौरव	23	375	8625
7	कान्ति देवी	24	375	9000
कुल योग				63375.00

(iv) Organic Waste Composter मशीन से निर्मित खाद की बिक्री से प्राप्त आय से सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।

नगर परिषद कुल्लू द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना अनुसार SWM (Solid Waste Management) के अंतर्गत माह अक्टूबर 2023 में **Organic Waste Composter** मशीन स्थापित की गई है । जिससे संबंधित अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस मशीन की स्थापना माह अक्टूबर 2023 में कर ली गई थी जिसके उपरान्त इस मशीन से निर्मित की जा रही खाद को भण्डार करने से संबंधित रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही इस खाद की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया गया था । परिणामस्वरूप यह ज्ञात करना कठिन है कि इस मशीन द्वारा प्रतिदिन कितनी खाद निर्मित की जाती है तथा कितनी खाद की बिक्री की जा रही है । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35 दिनांक 07.01.2025 द्वारा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या एम.सी.के./स्वच्छता/(ऑडिट)/2024-25/-467 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना अनुसार खाद के कुछ पैरामीटर तय मानको से अधिक पाये गए जिससे खाद उपयोग नहीं की जा सकती थी इसलिए खाद को नगर परिषद द्वारा बेचा नहीं गया तथा साथ ही मशीन प्रदान करने वाली कंपनी से भी पत्राचार किया गया है कि खाद को किस प्रकार उपयोग हेतु बनाया जाए । अतः **Organic Waste Composter** मशीन द्वारा निर्मित खाद हेतु आवश्यक अभिलेखों को तैयार करके शीघ्र अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा कंपनी द्वारा उपलब्ध कारवाई गई मशीन का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि इस मशीन से उपयोगी खाद का निर्माण किया जा सके तथा नगर परिषद को आय प्राप्त हो सके ।

34 महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार न करने बारे :-

(i) अनुदान रजिस्टर तैयार न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद में विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशि के रख-रखाव हेतु अनुदान रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदान राशि एवं इनके प्रयोजनों/उद्देश्य तथा पत्र संख्या का पता नहीं चल सका। अतः शीघ्र अनुदान रजिस्टर तैयार करके समस्त अनुदानों का इसमें इन्द्राज सुनिश्चित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 799 दिनांक 29.08.22 द्वारा कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या न.प./कुल्लू/लेखा/आडिट/22/4161 दिनांक 17.10.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अनुदान रजिस्टर तैयार कर लिया गया है। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये एवं भविष्य में प्रत्येक अनुदानों का अनुदान रजिस्टर में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें।

(ii) निवेश रजिस्टर तैयार न करने बारे :-

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों के रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। वास्तव में नियमों/लेखा नियमों के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन करके समस्त सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों के ब्याज का लेखांकन रजिस्टर को किया जाना अपेक्षित है। सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का रजिस्टर सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अध्याचना संख्या 22 दिनांक 19.12.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परंतु इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण के समाप्ति तक नहीं दिया गया। अतः सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का वर्षवार रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए, तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(iii) Slaughter House से संबन्धित अभिलेख तैयार न करना।

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल में पाया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 में Slaughter House से आय प्राप्त नहीं की गई थी एवं न ही आय के रख-रखाव हेतु रजिस्टर तैयार

किया गया था जिसके अभाव में slaughter house से प्राप्त आय के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद क्षेत्र में बिना पशु चिकित्सक के प्रमाण पत्र से मांस की बिक्री की जा रही है जोकि पूर्ण रूप से अनियमित है एवं नगर परिषद की आय भी प्रभावित हो रही है। इस सम्बंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण दल द्वारा ज्ञापन संख्या 39 दिनांक 15.01.2025 नगर परिषद कुल्लू को प्रेषित किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या न.प./कुल्लू/लेखा/ऑडिट /471 दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पालिका द्वारा जो slaughter house चलाया जाता था वह कई वर्ष पहले बाढ़ में बह गया था उसके उपरांत पालिका के पास इसके निर्माण के लिए उचित जगह न होने के कारण इसका निर्माण नहीं किया जा सका जिस कारण इसकी फीस भी एकत्रित नहीं हो पाई है। slaughter house से संबंधित मुद्दा पालिका की आगामी बैठक में लाया जाएगा व इसकी कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः दिये गए आश्वासन अनुसार शीघ्र उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि पशु चिकित्सक के प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात ही मांस की बिक्री सुनिश्चित हो सके एवं नगर परिषद को भी नियमानुसार आय की प्राप्ति हो सके।

(iv) नगर परिषद द्वारा परिषद क्षेत्र में दैनिक रेहड़ी -फड़ी मालिकों को वेंडर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण न करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया कि नगर परिषद कुल्लू द्वारा अस्थाई दुकानदारों से दैनिक वसूली की जा रही है जिस कारण अवकाश वाले दिनों में इन अस्थाई दुकानों एवं रेहड़ी फड़ी मालिकों से किराए की वसूली नहीं की जा रही है जिससे की नगर परिषद को गत कई वर्षों से वित्तीय हानि हो रही है परंतु नगर परिषद द्वारा इस संबंध में कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 लागू किया गया है परंतु नगर परिषद कुल्लू द्वारा इसके अन्तर्गत किसी भी स्ट्रीट वेंडर का पंजीकरण नहीं किया गया था। इस सम्बंध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या-39 दिनांक 15.01.2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परंतु इस सम्बंध में कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः नियमानुसार उक्त एक्ट के अन्तर्गत स्ट्रीट वेंडर का पंजीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं शीघ्र उक्त एक्ट में दिये गए निर्देशों के अनुसार स्ट्रीट वेंडर का पंजीकरण करके मासिक किराया निर्धारित करना सुनिश्चित करें ताकि नगर परिषद को नियमित आय की प्राप्ति हो सके।

(v) सिनेमा व वीडियो घरों से फिल्म प्रदर्शन टैक्स (show tax) की वसूली न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कुल्लू शहर में विभिन्न सिनेमा घरों /वीडियो हाल से हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: एल.एस.जी.-डी0(1)-9/94 दिनांक 24.08.2000 द्वारा निर्धारित ₹50 प्रति प्रदर्शन की दर से कर की वसूली नहीं की जा रही है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 39 दिनांक 15.01.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को कहा गया था परंतु इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः शहर में स्थापित सिनेमा घरों /वीडियो हालों को चिन्हित व आरंभ से ही देय प्रदर्शन कर (show tax) की गणना करने के उपरान्त संबंधित सिनेमाघर/ वीडियो हाल मालिकों से वसूली की जानी सुनिश्चित को जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

35 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न भण्डार रजिस्ट्रों में दर्ज सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 140 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित था। परन्तु नगर परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 में भण्डार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। अतः अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में नियमानुसार भण्डार का भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 लघु आपति विवरणी :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

37 निष्कर्ष :- अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद कुल्लू में दिनांक 31.03.2024 तक लगभग 760 पैरे लम्बित है, लेकिन इनके समायोजन हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जोकि एक चिंता का विषय है। अतः मामला उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि शीघ्र लम्बित पैरों के समायोजन हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त लेखों के रख-रखाव में भी सुधार की आवश्यकता है।



(रविन्द्र कंवर)

संयुक्त निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009.

दूरभाष 0177-2620881

क्र०/प्रि०
8037-3039

26 MAY 2025

पृष्ठांकन संख्या :- V(13) फिन(एल0ए0)-खण्ड-6 दिनांक: शिमला-171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत : 3 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

26 MAY 2025

क्र०/प्रि०



(रविन्द्र कंवर)

संयुक्त निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009.

परिशिष्ट "1"

पैरा 1 (ग)

नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची निम्नलिखित है :-

- 1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/1953 से 3/1956

1	पैरा- 4	अनिर्णीत
---	---------	----------

- 2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1956 से 03/1957

1	पैरा- 10 (क)	अनिर्णीत
---	--------------	----------

- 3 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1958 से 3/1959

1	पैरा- 8 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा- 8 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा- 8 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा- 8 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा- 9	अनिर्णीत

- 4 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1959 से 3/1960

1	पैरा- 5	अनिर्णीत
---	---------	----------

- 5 परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि.प्र.) की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या (5) (100) 3634 दिनांक 14.11.1961

1	पैरा- 1 (1) (4)	अनिर्णीत
---	-----------------	----------

- 6 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1960 से 3/1961

1	पैरा- 13 (2) (4)	अनिर्णीत
2	पैरा- 16 (3)	अनिर्णीत

7 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1961 से 3/1962

1	पैरा- 5	अनिर्णीत
2	पैरा- 11 (3)	अनिर्णीत

8 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1962 से 3/1964

1	पैरा- 5 (1) (2)	अनिर्णीत
2	पैरा- 8 (2) (3)	अनिर्णीत
3	पैरा- 10 (1, 2, 3, 8)	अनिर्णीत
4	पैरा- 10	अनिर्णीत
5	पैरा- 14	अनिर्णीत
6	पैरा- 16 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा- 17 (2)	अनिर्णीत

9 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1964 से 3/1966

1	पैरा- 9 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा- 11	अनिर्णीत
3	पैरा- 11 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा- 11 (d)	अनिर्णीत
5	पैरा- 12 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा- 13	अनिर्णीत
7	पैरा- 14 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा- 14 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा- 17 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा- 20 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा- 20 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा- 24 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा- 24 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा- 24 (4)	अनिर्णीत

15	पैरा- 24 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा- 24 (6)	अनिर्णीत

10 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1966 से 3/1967

1	पैरा- 11 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा- 11 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा- 11 (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा- 15 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा- 16	अनिर्णीत
6	पैरा- 17 (8)	अनिर्णीत
7	पैरा- 17 (13)	अनिर्णीत
8	पैरा- 18 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा- 19 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा- 20 (3)	अनिर्णीत

11 उप-सचिव (बंजार) की 06/70 तथा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि.प्र.) की दिनांक 06.07.1973 की निरीक्षण रिपोर्ट :-

उक्त निरीक्षण रिपोर्ट अंकेक्षण में पुनः प्रस्तुत नहीं की गई और न ही सटिप्पण उत्तर तैयार किए गए थे जिस पर तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित की जाये ।

12 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1967 से 3/1971

1	पैरा- 1	अनिर्णीत
2	पैरा- 11	अनिर्णीत
3	पैरा- 12	अनिर्णीत
4	पैरा- 13	अनिर्णीत
5	पैरा- 16 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा- 16 (3)	अनिर्णीत
7	पैरा- 16 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा- 16 (5)	अनिर्णीत

9	पैरा- 16 (6)	अनिर्णीत
10	पैरा- 17 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा- 17 (बी) (1) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा- 17 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा- 18	अनिर्णीत
14	पैरा- 19	अनिर्णीत
15	पैरा- 20	अनिर्णीत
16	पैरा- 21 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा- 21 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा- 21 (3)	अनिर्णीत
19	पैरा- 22	अनिर्णीत
20	पैरा- 23	अनिर्णीत
21	पैरा- 25	अनिर्णीत
22	पैरा- 26	अनिर्णीत
23	पैरा- 27	अनिर्णीत

13 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1971 से 3/1974

1	पैरा- 8	अनिर्णीत
2	पैरा- 13	अनिर्णीत
3	पैरा- 15 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा- 15 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा- 15 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा- 15 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा- 17 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा- 17 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा- 17 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा- 17 (डी)	अनिर्णीत
11	पैरा- 17 (ई)	अनिर्णीत

12	पैरा- 17 (एफ)	अनिर्णीत
13	पैरा- 17 (जी)	अनिर्णीत
14	पैरा- 17 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा- 17 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा- 20	अनिर्णीत
17	पैरा- 20 (3)	अनिर्णीत
18	पैरा- 24 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा- 24 (6)	अनिर्णीत
20	पैरा- 24 (7)	अनिर्णीत
21	पैरा- 24 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा- 25	अनिर्णीत

14.1. अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1974 से 3/1976

14.2. अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1976 से 3/1978

14.3. अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1980

उक्त अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों को इस बार भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उन पर कोई अपेक्षित कार्यवाही की गई थी ।

15 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1980 से 3/1982

1	पैरा- 7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा- 9 (21)	अनिर्णीत

16 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1983

1	पैरा- 3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा- 4	अनिर्णीत
3	पैरा- 5	अनिर्णीत
4	पैरा- 6	अनिर्णीत
5	पैरा- 7	अनिर्णीत
6	पैरा- 8	अनिर्णीत

7	પૈરા- 9	અનિર્ણીત
8	પૈરા- 10	અનિર્ણીત
9	પૈરા- 11	અનિર્ણીત
10	પૈરા- 12	અનિર્ણીત
11	પૈરા- 13	અનિર્ણીત
12	પૈરા- 14 (1)	અનિર્ણીત
13	પૈરા- 14 (2)	અનિર્ણીત
14	પૈરા- 14 (3)	અનિર્ણીત
15	પૈરા- 14 (4)	અનિર્ણીત
16	પૈરા- 14 (6)	અનિર્ણીત
17	પૈરા- 14 (7)	અનિર્ણીત
18	પૈરા- 14 (ઁ)	અનિર્ણીત
19	પૈરા- 14 (બી)	અનિર્ણીત
20	પૈરા- 14 (8) (બી)	અનિર્ણીત
21	પૈરા- 14 (9)	અનિર્ણીત
22	પૈરા- 14 (10)	અનિર્ણીત
23	પૈરા- 15	અનિર્ણીત
24	પૈરા- 16	અનિર્ણીત
25	પૈરા- 17	અનિર્ણીત
26	પૈરા- 18	અનિર્ણીત
27	પૈરા- 19 (ઁ) (2) (3)	અનિર્ણીત
28	પૈરા- 19 (બી)	અનિર્ણીત
29	પૈરા- 20	અનિર્ણીત
30	પૈરા- 21	અનિર્ણીત
31	પૈરા- 22	અનિર્ણીત

1	पैरा- 3 (ए) (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा- 4	अनिर्णीत
3	पैरा- 5 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा- 5 (सी)	अनिर्णीत
5	पैरा- 5 (सी) (1, 2)	अनिर्णीत
6	पैरा- 6 (2) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा- 7 (1 से 6)	अनिर्णीत
8	पैरा- 9 (1, 2)	अनिर्णीत
9	पैरा- 10 (1, 2)	अनिर्णीत
10	पैरा- 11	अनिर्णीत
11	पैरा- 12	अनिर्णीत
12	पैरा- 13 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा- 13 (बी) (1, 2)	अनिर्णीत
14	पैरा- 14 (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा- 15 (ए से एफ)	अनिर्णीत
16	पैरा- 16 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
17	पैरा- 17 (ए, बी)	अनिर्णीत
18	पैरा- 18 (ए, बी)	अनिर्णीत
19	पैरा- 18 (एफ)	अनिर्णीत
20	पैरा- 19 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
21	पैरा- 23	अनिर्णीत
22	पैरा- 24 (1) (ए, बी, सी)	अनिर्णीत
23	पैरा- 24 (2, 3, 4)	अनिर्णीत
24	पैरा- 25 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा- 25 (डी, ई)	अनिर्णीत

18 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.02.1991 से 31.03.92

1	पैरा- 3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा- 4 (क) (5)	अनिर्णीत
3	पैरा- 4 (क) (7) (8)	अनिर्णीत
4	पैरा- 7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा- 8 (1) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा- 9	अनिर्णीत
7	पैरा- 10	अनिर्णीत
8	पैरा- 11	अनिर्णीत
9	पैरा- 12 (1) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा- 13 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा- 15 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा- 15 (ख) (1, 2)	अनिर्णीत
13	पैरा- 15 (ख) (6)	अनिर्णीत
14	पैरा- 15 (ख) (9 से 13)	अनिर्णीत
15	पैरा- 18	अनिर्णीत
16	पैरा- 19	अनिर्णीत
17	पैरा- 20	अनिर्णीत
18	पैरा- 22 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
19	पैरा- 25	अनिर्णीत
20	पैरा- 27 (2, 3)	अनिर्णीत

19 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1993

1	पैरा- 3	अनिर्णीत
2	पैरा- 8 (ख, ग)	अनिर्णीत
3	पैरा- 9	अनिर्णीत
4	पैरा- 10	अनिर्णीत

5	पैरा- 11	अनिर्णीत
6	पैरा- 12 (1, 2)	अनिर्णीत
7	पैरा- 13 (1, 2)	अनिर्णीत
8	पैरा- 14	अनिर्णीत
9	पैरा- 15 (1, 3)	अनिर्णीत
10	पैरा- 16 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा- 16 (ख) (3,5,7)	अनिर्णीत
12	पैरा- 16 (ख) (11)	अनिर्णीत
13	पैरा- 17 (1 से 4)	अनिर्णीत
14	पैरा- 18	अनिर्णीत
15	पैरा- 19 (क, ख)	अनिर्णीत
16	पैरा- 21	अनिर्णीत
17	पैरा- 23 (1, 3)	अनिर्णीत
18	पैरा- 24 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत

20 निरीक्षण प्रतिवेदन सयुंक्त निदेशक स्थानीय निधि लेखा (हि.प्र.)

1	पैरा- 1	अनिर्णीत
2	पैरा- 3	अनिर्णीत
3	पैरा- 4	अनिर्णीत
4	पैरा- 5	अनिर्णीत
5	पैरा- 9	अनिर्णीत

21 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1994

1	पैरा- 3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा- 8 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा- 8 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा- 8 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा- 9	अनिर्णीत

6	पैरा- 10	अनिर्णीत
7	पैरा- 11	अनिर्णीत
8	पैरा- 12	अनिर्णीत
9	पैरा- 13	अनिर्णीत
10	पैरा- 14	अनिर्णीत
11	पैरा- 15 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा- 16 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा- 16 (ख) (1,2,3,4,6)	अनिर्णीत
14	पैरा- 17 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
15	पैरा- 18	अनिर्णीत
16	पैरा- 19	अनिर्णीत
17	पैरा- 20	अनिर्णीत
18	पैरा- 21 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा- 23 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा- 24 (1, 2)	अनिर्णीत
21	पैरा- 25 (2, 3)	अनिर्णीत

22 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1998

1	पैरा- 3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा- 7 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा- 7 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा- 7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा- 7 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा- 8	अनिर्णीत
7	पैरा- 9	अनिर्णीत
8	पैरा- 10 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा- 11	अनिर्णीत
10	पैरा- 12 (1)	अनिर्णीत

11	પૈરા- 12 (2)	અનિર્ણીત
12	પૈરા- 13	અનિર્ણીત
13	પૈરા- 14 (1)	અનિર્ણીત
14	પૈરા- 14 (2)	અનિર્ણીત
15	પૈરા- 14 (3)	અનિર્ણીત
16	પૈરા- 14 (5)	અનિર્ણીત
17	પૈરા- 14 (6)	અનિર્ણીત
18	પૈરા- 14 (7)	અનિર્ણીત
19	પૈરા- 14 (8)	અનિર્ણીત
20	પૈરા- 14 (9)	અનિર્ણીત
21	પૈરા- 14 (10)	અનિર્ણીત
22	પૈરા- 14 (11)	અનિર્ણીત
23	પૈરા- 14 (12)	અનિર્ણીત
24	પૈરા- 14 (13)	અનિર્ણીત
25	પૈરા- 14 (14)	અનિર્ણીત
26	પૈરા- 14 (15)	અનિર્ણીત
27	પૈરા- 14 (16)	અનિર્ણીત
28	પૈરા- 14 (17) (1)	અનિર્ણીત
29	પૈરા- 14 (17) (2)	અનિર્ણીત
30	પૈરા- 14 (18)	અનિર્ણીત
31	પૈરા- 14 (19) (1)	અનિર્ણીત
32	પૈરા- 14 (19) (2)	અનિર્ણીત
33	પૈરા- 14 (20) (1) (2)	અનિર્ણીત
34	પૈરા- 14 (21)	અનિર્ણીત
35	પૈરા- 14 (22)	અનિર્ણીત
36	પૈરા- 14 (23)	અનિર્ણીત
37	પૈરા- 14 (24)	અનિર્ણીત

38	पैरा- 14 (25)	अनिर्णीत
39	पैरा- 14 (26)	अनिर्णीत
40	पैरा- 14 (27)	अनिर्णीत
41	पैरा- 14 (28)	अनिर्णीत
42	पैरा- 14 (29)	अनिर्णीत
43	पैरा- 14 (30) (1, 2)	अनिर्णीत
44	पैरा- 14 (31)	अनिर्णीत
45	पैरा- 14 (32)	अनिर्णीत
46	पैरा- 14 (33)	अनिर्णीत
47	पैरा- 14 (35)	अनिर्णीत
48	पैरा- 14 (37)	अनिर्णीत
49	पैरा- 14 (38)	अनिर्णीत
50	पैरा- 14 (41)	अनिर्णीत
51	पैरा- 16 (5)	अनिर्णीत
52	पैरा- 17 (क)	अनिर्णीत
53	पैरा- 17 (ख) (2)	अनिर्णीत
54	पैरा- 17 (ग) (2)	अनिर्णीत
55	पैरा- 17 (ग) (3)	अनिर्णीत
56	पैरा- 17 (घ)	अनिर्णीत
57	पैरा- 18	अनिर्णीत
58	पैरा- 19 (1)	अनिर्णीत
59	पैरा- 19 (2)	अनिर्णीत
60	पैरा- 19 (3)	अनिर्णीत
61	पैरा- 19 (4)	अनिर्णीत
62	पैरा- 20 (1)	अनिर्णीत
63	पैरा- 20 (2)	अनिर्णीत
64	पैरा- 20 (3)	अनिर्णीत

65	पैरा- 20 (4)	अनिर्णीत
66	पैरा- 20 (5)	अनिर्णीत
67	पैरा- 21	अनिर्णीत
68	पैरा- 22 (1)	अनिर्णीत
69	पैरा- 22 (2)	अनिर्णीत
70	पैरा- 22 (5) (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
71	पैरा- 22 (6)	अनिर्णीत
72	पैरा- 22 (7)	अनिर्णीत
73	पैरा- 23	अनिर्णीत
74	पैरा- 24	अनिर्णीत
75	पैरा- 25	अनिर्णीत
76	पैरा- 26 (1)	अनिर्णीत
77	पैरा- 26 (2)	अनिर्णीत
78	पैरा- 26 (3)	अनिर्णीत
79	पैरा- 26 (4)	अनिर्णीत
80	पैरा- 26 (5)	अनिर्णीत
81	पैरा- 26 (6)	अनिर्णीत
82	पैरा- 26 (7)	अनिर्णीत

23 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/2001

1	पैरा- 3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा- 5	अनिर्णीत
3	पैरा- 6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा- 6 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा- 6 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा- 7 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा- 7 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा- 8 (क)	अनिर्णीत

9	પૈરા- 8 (ખ)	અનિર્ણીત
10	પૈરા- 8 (ગ)	અનિર્ણીત
11	પૈરા- 9	અનિર્ણીત
12	પૈરા- 10	અનિર્ણીત
13	પૈરા- 11 (ક)	અનિર્ણીત
14	પૈરા- 11 (ખ)	અનિર્ણીત
15	પૈરા- 12 (ક)	આંશિક નિર્ણીત
16	પૈરા- 13	અનિર્ણીત
17	પૈરા- 14 (ક)	અનિર્ણીત
18	પૈરા- 14 (ખ)	અનિર્ણીત
19	પૈરા- 14 (ગ)	અનિર્ણીત
20	પૈરા- 14 (ઘ) (1)	અનિર્ણીત
21	પૈરા- 14 (ઘ) (2)	અનિર્ણીત
22	પૈરા- 14 (ઙ)	અનિર્ણીત
23	પૈરા- 14 (છ) (2)	અનિર્ણીત
24	પૈરા- 14 (જા) (1)	અનિર્ણીત
25	પૈરા- 14 (ઞ)	અનિર્ણીત
26	પૈરા- 14 (ત)	અનિર્ણીત
27	પૈરા- 14 (થ)	અનિર્ણીત
28	પૈરા- 14 (દ)	અનિર્ણીત
29	પૈરા- 15 (1)	અનિર્ણીત
30	પૈરા- 15 (2) (1, 2, 3, 5, 6, 7)	અનિર્ણીત
31	પૈરા- 16 (2)	અનિર્ણીત
32	પૈરા- 17	અનિર્ણીત
33	પૈરા- 18 (1)	અનિર્ણીત
34	પૈરા- 18 (2)	અનિર્ણીત
35	પૈરા- 18 (3)	અનિર્ણીત

36	पैरा- 19 (1)	अनिर्णीत
37	पैरा- 19 (2)	अनिर्णीत
38	पैरा- 20 (1)	अनिर्णीत
39	पैरा- 20 (2)	अनिर्णीत

24 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2007

1	पैरा- 1	अनिर्णीत
2	पैरा- 2	अनिर्णीत
3	पैरा- 4 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा- 4 (b)	अनिर्णीत
5	पैरा- 4 (c) (i) से (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा- 4 (c) (1, 2)	अनिर्णीत
7	पैरा- 4 (d)	अनिर्णीत
8	पैरा- 4 (e)	अनिर्णीत
9	पैरा- 4 (f)	अनिर्णीत
10	पैरा- 4 (g)	अनिर्णीत
11	पैरा- 4 (h)	अनिर्णीत
12	पैरा- 4 (i)	अनिर्णीत
13	पैरा- 4 (j)	अनिर्णीत
14	पैरा- 4 (k)	अनिर्णीत
15	पैरा- 4 (l)	अनिर्णीत
16	पैरा- 4 (m)	अनिर्णीत
17	पैरा- 4 (n)	अनिर्णीत
18	पैरा- 4 (o)	अनिर्णीत
19	पैरा- 4 (p)	अनिर्णीत
20	पैरा- 4 (q)	अनिर्णीत
21	पैरा- 4 (r)	अनिर्णीत

22	પૈરા- 5 (a)	અનિર્ણીત
23	પૈરા- 5 (b)	અનિર્ણીત
24	પૈરા- 5 (c)	અનિર્ણીત
25	પૈરા- 5 (d)	અનિર્ણીત
26	પૈરા- 5 (e) (i)	અનિર્ણીત
27	પૈરા- 5 (e) (ii)	અનિર્ણીત
28	પૈરા- 5 (e) (iii)	અનિર્ણીત
29	પૈરા- 5 (f)	અનિર્ણીત
30	પૈરા- 5 (g)	અનિર્ણીત
31	પૈરા- 5 (h)	અનિર્ણીત
32	પૈરા- 6 (a)	અનિર્ણીત
33	પૈરા- 6 (b)	અનિર્ણીત
34	પૈરા- 6 (c)	અનિર્ણીત
35	પૈરા- 6 (d)	અનિર્ણીત
36	પૈરા- 6 (e)	અનિર્ણીત
37	પૈરા- 6 (f)	અનિર્ણીત
38	પૈરા- 6 (g)	અનિર્ણીત
39	પૈરા- 6 (h)	અનિર્ણીત
40	પૈરા- 6 (i)	અનિર્ણીત
41	પૈરા- 6 (j)	અનિર્ણીત
42	પૈરા- 6 (k)	અનિર્ણીત
43	પૈરા- 6 (l)	અનિર્ણીત
44	પૈરા- 6 (m)	અનિર્ણીત
45	પૈરા- 6 (n)	અનિર્ણીત
46	પૈરા- 6 (o)	અનિર્ણીત
47	પૈરા- 6 (p)	અનિર્ણીત
48	પૈરા- 6 (q)	અનિર્ણીત

49	પૈરા- 6 (r)	અનિર્ણીત
50	પૈરા- 6 (s)	અનિર્ણીત
51	પૈરા- 6 (t)	અનિર્ણીત
52	પૈરા- 6 (u)	અનિર્ણીત
53	પૈરા- 6 (v)	અનિર્ણીત
54	પૈરા- 6 (w)	અનિર્ણીત
55	પૈરા- 6 (x)	અનિર્ણીત
56	પૈરા- 6 (y)	અનિર્ણીત
57	પૈરા- 6 (z)	અનિર્ણીત
58	પૈરા- 6 (A)	અનિર્ણીત
59	પૈરા- 6 (B)	અનિર્ણીત
60	પૈરા- 6 (C) (ક) (ખ) (ગ)	અનિર્ણીત
61	પૈરા- 6 (D)	અનિર્ણીત
62	પૈરા- 6 (E)	અનિર્ણીત
63	પૈરા- 6 (F)	અનિર્ણીત
64	પૈરા- 6 (G)	અનિર્ણીત
65	પૈરા- 6 (H)	અનિર્ણીત
66	પૈરા- 6 (I)	અનિર્ણીત
67	પૈરા- 6 (J)	અનિર્ણીત
68	પૈરા- 6 (K)	અનિર્ણીત
69	પૈરા- 6 (L)	અનિર્ણીત
70	પૈરા- 6 (M)	અનિર્ણીત
71	પૈરા- 6 (N)	અનિર્ણીત
72	પૈરા- 6 (O)	અનિર્ણીત
73	પૈરા- 6 (P)	અનિર્ણીત
74	પૈરા- 6 (Q)	અનિર્ણીત
75	પૈરા- 6 (R)	અનિર્ણીત

76	पैरा- 6 (S)	अनिर्णीत
77	पैरा- 6 (T)	अनिर्णीत
78	पैरा- 6 (U)	अनिर्णीत
79	पैरा- 6 (V)	अनिर्णीत
80	पैरा- 6 (V) (क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
81	पैरा- 6 (X)	अनिर्णीत
82	पैरा- 6 (Y)	अनिर्णीत
83	पैरा- 6 (Z)	अनिर्णीत
84	पैरा- 6 (a-1)	अनिर्णीत
85	पैरा- 6 (a-2)	अनिर्णीत
86	पैरा- 6 (b-1)	अनिर्णीत
87	पैरा- 6 (c-1)	अनिर्णीत
88	पैरा- 6 (d-1)	अनिर्णीत
89	पैरा- 6 (e-1) (क से छ)	अनिर्णीत
90	पैरा- 6 (f-1)	अनिर्णीत
91	पैरा- 6 (g-1)	अनिर्णीत
92	पैरा- 6 (h-1)	अनिर्णीत
93	पैरा- 6 (i-1)	अनिर्णीत
94	पैरा- 6 (j-1)	अनिर्णीत
95	पैरा- 6 (k-1)	अनिर्णीत
96	पैरा- 6 (l-1)	अनिर्णीत
97	पैरा- 6 (m-1)	अनिर्णीत
98	पैरा- 6 (n-1)	अनिर्णीत
99	पैरा- 6 (O-1)	अनिर्णीत
100	पैरा- 6 (P-1)	अनिर्णीत
101	पैरा- 6 (Q-1)	अनिर्णीत
102	पैरा- 6 (R-1)	अनिर्णीत

103	પૈરા- 6 (S-1)	અનિર્ણીત
104	પૈરા- 6 (T-1)	અનિર્ણીત
105	પૈરા- 6 (U-1)	અનિર્ણીત
106	પૈરા- 6 (V-1)	અનિર્ણીત
107	પૈરા- 6 (W-1)	અનિર્ણીત
108	પૈરા- 6 (X-1)	અનિર્ણીત
109	પૈરા- 6 (Y-1)	અનિર્ણીત
110	પૈરા- 6 (Z-1)	અનિર્ણીત
111	પૈરા- 6 (i)	અનિર્ણીત
112	પૈરા- 6 (ii)	અનિર્ણીત
113	પૈરા- 6 (iii)	અનિર્ણીત
114	પૈરા- 7 (a)	અનિર્ણીત
115	પૈરા- 7 (b)	અનિર્ણીત
116	પૈરા- 7 (c)	અનિર્ણીત
117	પૈરા- 7 (d)	અનિર્ણીત
118	પૈરા- 7 (e)	અનિર્ણીત
119	પૈરા- 7 (f)	અનિર્ણીત
120	પૈરા- 7 (g)	અનિર્ણીત
121	પૈરા- 7 (h)	અનિર્ણીત
122	પૈરા- 7 (i)	અનિર્ણીત
123	પૈરા- 7 (j)	અનિર્ણીત
124	પૈરા- 7 (k)	અનિર્ણીત
125	પૈરા- 7 (l)	અનિર્ણીત
126	પૈરા- 7 (m)	અનિર્ણીત
127	પૈરા- 7 (n) (a, b)	અનિર્ણીત
128	પૈરા- 7 (o)	અનિર્ણીત
129	પૈરા- 7 (p)	અનિર્ણીત

130	पैरा- 7 (q)	अनिर्णीत
131	पैरा- 8 (a)	अनिर्णीत
132	पैरा- 8 (b)	अनिर्णीत
133	पैरा- 8 (c)	अनिर्णीत
134	पैरा- 8 (d)	अनिर्णीत
135	पैरा- 8 (d) (1,2,3,4,5)	अनिर्णीत
136	पैरा- 8 (d) (6) (1,2,3)	अनिर्णीत
137	पैरा- 8 (e) (1, 2)	अनिर्णीत
138	पैरा- 9 (a)	अनिर्णीत
139	पैरा- 9 (b)	अनिर्णीत
140	पैरा- 9 (c)	अनिर्णीत
141	पैरा- 9 (d)	अनिर्णीत
142	पैरा- 9 (e)	अनिर्णीत
143	पैरा- 9 (f)	अनिर्णीत
144	पैरा- 9 (g)	अनिर्णीत
145	पैरा- 9 (h) (i) से (iv)	अनिर्णीत

25 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा- 4	अनिर्णीत
2	पैरा- 4 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा- 4 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा- 4 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा- 4 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा- 4 (ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा- 4 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा- 4 (छ)	अनिर्णीत
9	पैरा- 5	अनिर्णीत
10	पैरा- 5 (क)	अनिर्णीत

11	પૈરા- 5 (ખ)	અનિર્ણીત
12	પૈરા- 5 (ગ)	અનિર્ણીત
13	પૈરા- 6 (1)	અનિર્ણીત
14	પૈરા- 6 (2)	અનિર્ણીત
15	પૈરા- 6 (3)	અનિર્ણીત
16	પૈરા- 6 (4)	અનિર્ણીત
17	પૈરા- 6 (5)	અનિર્ણીત
18	પૈરા- 6 (6)	અનિર્ણીત
19	પૈરા- 6 (8)	અનિર્ણીત
20	પૈરા- 6 (9)	અનિર્ણીત
21	પૈરા- 6 (10)	અનિર્ણીત
22	પૈરા- 6 (11)	અનિર્ણીત
23	પૈરા- 6 (12)	અનિર્ણીત
24	પૈરા- 7	અનિર્ણીત
25	પૈરા- 7 (i)	અનિર્ણીત
26	પૈરા- 7 (ii)	અનિર્ણીત
27	પૈરા- 7 (2)	અનિર્ણીત
28	પૈરા- 7 (3)	અનિર્ણીત
29	પૈરા- 7 (4)	અનિર્ણીત
30	પૈરા- 7 (5)	અનિર્ણીત
31	પૈરા- 8 (1)	અનિર્ણીત
32	પૈરા- 8 (2)	અનિર્ણીત
33	પૈરા- 8 (3)	અનિર્ણીત
34	પૈરા- 8 (4)	અનિર્ણીત
35	પૈરા- 8 (5)	અનિર્ણીત
36	પૈરા- 8 (6)	અનિર્ણીત
37	પૈરા- 8 (6) (ક)	અનિર્ણીત

38	પૈરા- 8 (6) (ખ)	અનિર્ણીત
39	પૈરા- 8 (6) (ગ)	અનિર્ણીત
40	પૈરા- 8 (7)	અનિર્ણીત
41	પૈરા- 8 (7) (ક)	અનિર્ણીત
42	પૈરા- 8 (7) (ખ)	અનિર્ણીત
43	પૈરા- 8 (7) (ગ)	અનિર્ણીત
44	પૈરા- 8 (7) (ઘ)	અનિર્ણીત
45	પૈરા- 8 (7) (ઙ)	અનિર્ણીત
46	પૈરા- 8 (8)	અનિર્ણીત
47	પૈરા- 8 (8) (ક)	અનિર્ણીત
48	પૈરા- 8 (8) (ખ)	અનિર્ણીત
49	પૈરા- 8 (8) (ગ)	અનિર્ણીત
50	પૈરા- 8 (8) (ઘ)	અનિર્ણીત
51	પૈરા- 8 (9)	અનિર્ણીત
52	પૈરા- 8 (10)	અનિર્ણીત
53	પૈરા- 8 (11)	અનિર્ણીત
54	પૈરા- 8 (12)	અનિર્ણીત
55	પૈરા- 8 (13)	અનિર્ણીત
56	પૈરા- 8 (13) (ક)	અનિર્ણીત
57	પૈરા- 8 (13) (ખ)	અનિર્ણીત
58	પૈરા- 8 (13) (ગ)	અનિર્ણીત
59	પૈરા- 8 (13) (ઘ)	અનિર્ણીત
60	પૈરા- 8 (13) (ઙ)	અનિર્ણીત
61	પૈરા- 8 (14)	અનિર્ણીત
62	પૈરા- 8 (15)	અનિર્ણીત
63	પૈરા- 8 (15) (ક)	અનિર્ણીત
64	પૈરા- 8 (15) (ખ)	અનિર્ણીત

65	પૈરા- 8 (15) (ગ)	અનિર્ણીત
66	પૈરા- 8 (16)	અનિર્ણીત
67	પૈરા- 8 (16) (ક)	અનિર્ણીત
68	પૈરા- 8 (16) (ખ)	અનિર્ણીત
69	પૈરા- 8 (17)	અનિર્ણીત
70	પૈરા- 8 (18)	અનિર્ણીત
71	પૈરા- 8 (19)	અનિર્ણીત
72	પૈરા- 8 (20)	અનિર્ણીત
73	પૈરા- 8 (21)	અનિર્ણીત
74	પૈરા- 8 (22)	અનિર્ણીત
75	પૈરા- 8 (23)	અનિર્ણીત
76	પૈરા- 8 (23) (ક)	અનિર્ણીત
77	પૈરા- 8 (23) (ખ)	અનિર્ણીત
78	પૈરા- 8 (23) (ગ)	અનિર્ણીત
79	પૈરા- 8 (24)	અનિર્ણીત
80	પૈરા- 8 (25)	અનિર્ણીત
81	પૈરા- 9 (1)	અનિર્ણીત
82	પૈરા- 9 (2)	અનિર્ણીત
83	પૈરા- 9 (2) (ક)	અનિર્ણીત
84	પૈરા- 9 (2) (ખ)	અનિર્ણીત
85	પૈરા- 9 (3)	અનિર્ણીત
86	પૈરા- 9 (4)	અનિર્ણીત
87	પૈરા- 9 (5)	અનિર્ણીત
88	પૈરા- 9 (6)	અનિર્ણીત
89	પૈરા- 9 (7)	અનિર્ણીત
90	પૈરા- 9 (8)	અનિર્ણીત
91	પૈરા- 9 (ક)	અનિર્ણીત

92	पैरा- 9 (ख)	अनिर्णीत
93	पैरा- 10 (1)	अनिर्णीत
94	पैरा- 10 (2)	अनिर्णीत
95	पैरा- 10 (3)	अनिर्णीत
96	पैरा- 10 (4)	अनिर्णीत
97	पैरा- 10 (5)	अनिर्णीत
98	पैरा- 11 (2) (क)	अनिर्णीत
99	पैरा- 11 (2) (ख)	अनिर्णीत
100	पैरा- 11 (3)	अनिर्णीत
101	पैरा- 11 (4) (क)	अनिर्णीत
102	पैरा- 11 (4) (ख)	अनिर्णीत
103	पैरा- 12	अनिर्णीत
104	पैरा- 13	अनिर्णीत

26 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा- 7	अनिर्णीत
2	पैरा- 8	अनिर्णीत
3	पैरा- 9	अनिर्णीत
4	पैरा- 15	अनिर्णीत
5	पैरा- 17	अनिर्णीत
6	पैरा- 18	अनिर्णीत
7	पैरा- 19	अनिर्णीत
8	पैरा- 20	अनिर्णीत
9	पैरा- 22	अनिर्णीत
10	पैरा- 23	अनिर्णीत
11	पैरा- 24	अनिर्णीत
12	पैरा- 25	अनिर्णीत
13	पैरा- 26	अनिर्णीत

14	पैरा- 27	आंशिक निर्णीत
15	पैरा- 31	अनिर्णीत
16	पैरा- 35	अनिर्णीत
17	पैरा- 36	अनिर्णीत
18	पैरा- 37	अनिर्णीत
19	पैरा- 38	अनिर्णीत
20	पैरा- 39	अनिर्णीत
21	पैरा- 40	अनिर्णीत
22	पैरा- 41	अनिर्णीत
23	पैरा- 42	आंशिक निर्णीत
24	पैरा- 43	अनिर्णीत
25	पैरा- 44	अनिर्णीत

27 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा- 6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा- 6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा- 12	अनिर्णीत
4	पैरा- 13	अनिर्णीत
5	पैरा- 14	अनिर्णीत
6	पैरा- 15	अनिर्णीत
7	पैरा- 17 (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा- 19	अनिर्णीत
9	पैरा- 20	अनिर्णीत
10	पैरा- 21	अनिर्णीत

28 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

1	पैरा- 4 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा- 6 (क)	अनिर्णीत

3	पैरा- 10	अनिर्णीत
4	पैरा- 11	अनिर्णीत
5	पैरा- 12 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा- 12 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा- 16	अनिर्णीत
8	पैरा- 18 (क)	अनिर्णीत

29 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018

1	पैरा- 5	अनिर्णीत
2	पैरा- 6	अनिर्णीत
3	पैरा- 7 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा- 9	अनिर्णीत
5	पैरा- 10 (ख, ग)	अनिर्णीत
6	पैरा- 11	अनिर्णीत
7	पैरा- 12 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा- 14 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
9	पैरा- 15	अनिर्णीत
10	पैरा- 16	अनिर्णीत
11	पैरा- 17	अनिर्णीत
12	पैरा- 18 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
13	पैरा- 20 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
14	पैरा- 21	अनिर्णीत
15	पैरा- 22 (क, ख)	अनिर्णीत
16	पैरा- 23	अनिर्णीत
17	पैरा- 24 (ख) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
18	पैरा- 24 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा- 25	अनिर्णीत

20	पैरा- 26	अनिर्णीत
21	पैरा- 27	अनिर्णीत
22	पैरा- 28	अनिर्णीत
23	पैरा- 29	अनिर्णीत
24	पैरा- 30	अनिर्णीत
25	पैरा- 31 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा- 31 (ख) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
27	पैरा- 32 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
28	पैरा- 32 (ङ) (1, 2)	अनिर्णीत
29	पैरा- 33	अनिर्णीत

30

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2018 से 3/2020

1	पैरा- 6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा- 6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा- 7	अनिर्णीत
4	पैरा- 8	अनिर्णीत
5	पैरा- 9 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा- 9 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा- 10 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा- 10 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा- 10 (घ)	अनिर्णीत
10	पैरा- 14	अनिर्णीत
11	पैरा- 17	अनिर्णीत
12	पैरा- 21	अनिर्णीत
13	पैरा- 21 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा- 22	अनिर्णीत
15	पैरा- 23	अनिर्णीत

16	पैरा- 25	अनिर्णीत
17	पैरा- 27	अनिर्णीत
18	पैरा- 28	आंशिक निर्णीत (₹ 1400 की वसूली शेष)
19	पैरा- 29	अनिर्णीत
20	पैरा- 30	अनिर्णीत

1

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2020 से 3/2022

1	पैरा -4 (i)	अनिर्णीत	
2	पैरा -6 (ii, iii, iv)	अनिर्णीत	
3	पैरा -8 (ii, iii, iv, v व vi)	अनिर्णीत	
4	पैरा -9 (ii) (v)	अनिर्णीत	
5	पैरा -13 (क, ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा -14	अनिर्णीत	
7	पैरा -16	अनिर्णीत	
8	पैरा -17	अनिर्णीत	
9	पैरा -18 (1 से 4)	अनिर्णीत	
10	पैरा-19	अनिर्णीत	
11	पैरा -20 (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा -21 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा -23	अनिर्णीत	
14	पैरा -24	अनिर्णीत	
15	पैरा -25	अनिर्णीत	
16	पैरा -28	अनिर्णीत	
17	पैरा -30	अनिर्णीत	

18	पैरा -31	अनिर्णीत	
19	पैरा -32	अनिर्णीत	
20	पैरा -33	अनिर्णीत	

2

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2022 से 3/2023

1	पैरा संख्या -3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹45000 ड्राफ्ट संख्या 577813 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा प्रेषित करने के दृष्टिगत निर्णीत ।
2	पैरा संख्या -4 (1) से (10)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत निर्णीत
3	पैरा संख्या -5	अनिर्णीत	
4	पैरा संख्या -6	अनिर्णीत	
5	पैरा संख्या -7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत निर्णीत
6	पैरा संख्या -8(i)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत निर्णीत
7	पैरा संख्या -8 (क)	अनिर्णीत	
8	पैरा संख्या -8(ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा संख्या -9	अनिर्णीत	
10	पैरा संख्या -10	अनिर्णीत	
11	पैरा संख्या -10 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत निर्णीत
12	पैरा संख्या -10(ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा संख्या -11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत निर्णीत
14	पैरा संख्या -11(क)	अनिर्णीत	
15	पैरा संख्या -11 (ख)	अनिर्णीत	

16	पैरा संख्या -11 (ग)	अनिर्णीत	
17	पैरा संख्या -11(घ)	अनिर्णीत	
18	पैरा संख्या -11 (ङ)	अनिर्णीत	
19	पैरा संख्या -11 (च)	अनिर्णीत	
20	पैरा -12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत निर्णीत
21	पैरा संख्या -13(क)	अनिर्णीत	
22	पैरा संख्या -13(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत निर्णीत
23	पैरा संख्या -14	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत निर्णीत
24	पैरा संख्या -14 (क)	अनिर्णीत	
25	पैरा संख्या -15	अनिर्णीत	
26	पैरा संख्या -16	अनिर्णीत	
27	पैरा संख्या -17(क)	अनिर्णीत	
28	पैरा संख्या -17(ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा संख्या -17(ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा संख्या -18(क)	अनिर्णीत	
31	पैरा संख्या -18(ख)	अनिर्णीत	
32	पैरा संख्या -19 (i) (क),(ख),(ग)	अनिर्णीत	
33	पैरा संख्या -19 (ii) (क),(ख),(ग)	अनिर्णीत	
34	पैरा संख्या -19 (iii) (क),(ख),(ग)	अनिर्णीत	
35	पैरा संख्या -19 (iv) (क)	अनिर्णीत	

36	पैरा संख्या -19 (v) (क),(ख),(ग) (घ)	अनिर्णीत	
37	पैरा संख्या -19 (vi) (i),(ii),(iii)	अनिर्णीत	
38	पैरा संख्या -19 (vii)	अनिर्णीत	
39	पैरा संख्या -20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन : प्रारूपित करने के दृष्टिगत निर्णीत
40	पैरा संख्या -21	अनिर्णीत	
41	पैरा संख्या -22	अनिर्णीत	
42	पैरा संख्या -23	अनिर्णीत	

पैरों का सार

दिनांक 01.04.23 को अनिर्णीत पैरों की कुल संख्या	737 (उप पैरों सहित)
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान प्रारूपित पैरों की संख्या	33
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समायोजित पैरों की संख्या	10
दिनांक 31.03.2024 को अनिर्णीत पैरों की संख्या	760

